[2019] 13 एस सी आर 177

द ऑथराइज्ड ऑफ़िसर, भारतीय बैंक

वी.

डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर.

(सिविल अपील सं। 2015 का 6295)

सितंबर 23,2019

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 - एस. 14-मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट (सीजेएम) यू/एस। 14 - क्षमता-सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के लिए सुरक्षित लेनदारों के अनुरोध को संसाधित करने के लिए सी. जे. एम. की क्षमता के बारे में विभिन्न उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी विचार थे। 14 2002 के अधिनियम-बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के उच्च न्यायालयों ने उक्त प्रावधान की व्याख्या करते हुए कहा कि महानगर क्षेत्रों में केवल मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सी. एम. एम.) और गैर-महानगर क्षेत्रों में जिला मजिस्ट्रेट (डी. एम.) इस तरह के अनुरोध से निपटने के लिए सक्षम थे।

इलाहाबाद और आंध्र प्रदेश ने एक ही प्रावधान के विपरीत दृष्टिकोण अपनाया, जिसका अर्थ है कि यह गैर-महानगरीय क्षेत्रों में सी. जे. एम. को यू/एस. शक्तियों का प्रयोग करने से रोकता या रोकता नहीं है। 14 2002 के अधिनियम-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: सीएमएम की शक्तियाँ और कार्य और

सी. जे. एम. समतुल्य और समान हैं, Cr.P.C में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में-ये अभिव्यक्तियाँ (सी. एम. एम. और सी. जे. एम.) विनिमेय और एक दूसरे के पर्याय हैं-इसके अलावा, धारा 14 सी. जे. एम. को इसके तहत किए गए सुरक्षित लेनदार के अनुरोध से निपटने से स्पष्ट रूप से बाहर नहीं करती है-यू/के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति संबंधित प्राधिकरण द्वारा 2002 के अधिनियम की धारा 14, अपने स्वभाव से, गैर-न्यायिक या राज्य की बलपूर्वक शक्ति है-सभी पहलुओं को समग्रता से लेते हुए, 'सी. एम. एम.' अभिव्यक्ति को व्यापक अर्थ देने में कुछ भी गलत नहीं है, जिसमें गैर-महानगरीय क्षेत्र से संबंधित सी. जे. एम. शामिल है, जो अन्यथा प्रशासनिक के साथ-साथ न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम है जैसा कि सी. एम. एम. में वर्णित है-इसलिए, सी. जे. एम. सुरक्षित लेनदार द्वारा दायर आवेदन से निपटने के लिए समान रूप से सक्षम है। 14 तदनुसार, केरल, कर्नाटक, इलाहाबाद और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखा गया और अनुमोदित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002। 14 , 35 और 37-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-क्या 2002 के अधिनियम के प्रावधान Cr.P.C के प्रावधानों को ओवरराइड करते हैं, जिसके तहत CMM द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कार्य CJM के समान हैं-आयोजितः अभिव्यक्ति 'सीएमएम' और 'सीजेएम' का उपयोग सीआर में एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। पी. सी. और एक दूसरे का पर्याय माना जाता है - एस. 14, भले ही शाब्दिक रूप से पढ़ा जाए, किसी भी तरह से दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सीएमएम और सीजेएम को अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के आवंटन को इंगित नहीं करता है।

2002 के अधिनियम द्वारा संशोधित किए गए हैं-इस प्रकार समझा जाता है, 2002 के अधिनियम की धारा 14 को दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के साथ असंगत या उस संबंध में इसके विपरीत नहीं माना जा सकता है-इसके अलावा, 2002 के अधिनियम की धारा 37 में भविष्यवाणी की गई है कि 2002 के अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान बताए गए अधिनियमों या "कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून" के अतिरिक्त होंगे। 14 2002 के अधिनियम के प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के साथ किसी भी तरह से असंगत नहीं हैं, फिर यह पालन करना चाहिए कि 2002 के अधिनियम के प्रावधान संहिता के अतिरिक्त हैं न कि अपमान में।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. यह ध्यान दिया जाए कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रवर्तन की धारा 14

प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। यह सुरक्षित लेनदार के लिए उपलब्ध एक उपचारात्मक उपाय है, जो उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति के प्रवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने के लिए अधिकृत अधिकारी की सहायता लेने का इरादा रखता है। प्राधिकृत अधिकारी अनिवार्य रूप से प्रशासनिक या

कार्यकारी कार्य, सुरक्षित लेनदार द्वारा प्राप्य बकाया की वसूली में तेजी लाने के अंतर्निहित विधायी इरादे को प्रभावी बनाने के लिए राज्य की बलपूर्वक शक्ति के संदर्भ में सुरक्षित लेनदार को सहायता प्रदान करना। सबसे अच्छा, शक्ति का प्रयोग अधिकृत अधिकारी द्वारा अर्ध-न्यायिक कार्य का रंग लिया जा सकता है, जिसका निर्वहन कार्यपालिका द्वारा भी किया जा सकता है।

मजिस्ट्रेट। अधिकृत अधिकारी से संबंधित पक्षों द्वारा उठाए गए विवादास्पद मुद्दों पर निर्णय लेने की अपेक्षा नहीं की जाती है, बल्कि केवल धारा के पहले प्रावधान में संदर्भित अनुपालनों को सत्यापित करने की अपेक्षा की जाती है।

डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर.

14 ; और उस ओर से संतुष्ट होने पर, सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने की सुविधा के लिए एक आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ें।

[पैरा 40] [216-सी-एफ]

2. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कोई भी दीवानी न्यायालय किसी भी मामले के संबंध में शुरू की गई कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जिसे ऋण वसूली न्यायाधिकरण या ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा सशक्त किया गया है। या 2002 के अधिनियम के तहत, 2002 के अधिनियम द्वारा या उसके तहत या बैंकों और वित्तीय संस्थानों अधिनियम, 1993 के तहत देय ऋणों की वसूली के तहत प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई को निर्धारित करने और विशेष रूप से करने के लिए। यह 2002 के अधिनियम की धारा 34 द्वारा निर्धारित किया गया है। [पैरा 41] [216-एफ-जी]

3. एस का निर्माण। 35 2002 के अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट रूप से

यह इंगित करता है कि अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी भी अन्य कानून पर हावी होंगे। सवाल यह है: क्या 2002 अधिनियम के प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को ओवरराइड करते हैं। पी. सी., जिसके तहत सी. एम. एम. द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं सीजेएम के समान। इसके अलावा, "सीएमएम और सीजेएम" अभिव्यक्तियों का उपयोग Cr.P.C में एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है और माना जाता है।

एक दूसरे के पर्याय के रूप में। धारा 14, भले ही शाब्दिक रूप से पढ़ा जाए,

कोई भी तरीका यह नहीं दर्शाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सीएमएम और सीजेएम को अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का आवंटन किया गया है

2002 के अधिनियम द्वारा संशोधित। इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 को दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं माना जा सकता है।

उस संबंध में उल्टा। यदि ऐसा है, तो 2002 के अधिनियम की धारा 35 की शर्त का 2002 के अधिनियम की धारा 14 के व्यापक निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि, सुरक्षित लेनदारों (बैंकों) द्वारा प्रस्तुत करने में बल है कि 2002 अधिनियम की धारा 37 विचाराधीन मुद्दे का जवाब देती है। धारा 37 के खाली पाठ में भविष्यवाणी की गई है कि 2002 के अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान बताए गए अधिनियमों या "उस समय लागू किसी अन्य कानून" के अतिरिक्त होंगे। यह कहने के बाद कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान किसी भी तरह से दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, यह तब पालन करना चाहिए कि

2002 का अधिनियम संहिता के अतिरिक्त है, न कि अपमान में। [पैरा 43] [217-बी-ई, जी-एच] [2019] 13 एस. सी. आर.

इरादा। इसमें, 2002 के अधिनियम की धारा 14 में अधिकृत अधिकारी को प्रदान की गई शक्ति सीमित है और यह केवल राज्य की बलपूर्वक शक्ति का उपयोग करने की प्रकृति में है। सुरक्षित परिसंपत्तियों के कब्जे पर। [पैरा 44] [218-ए-बी]

5. जनार्दन बनाम महाराष्ट्र राज्य में अंतर्निहित सिद्धांत को लागू करते हुए इसे अधिकारियों के प्रतिस्थापन का पालन करना चाहिए।

(सी. जे. एम. के रूप में सी. एम. एम.) प्रशासनिक और कार्यपालक या ऐसा कहना कि Cr.P.C के प्रावधानों के आलोक में उनके द्वारा निष्पादित गैर-न्यायिक कार्य धारा 14 के साथ असंगत नहीं होंगे।

2002 के अधिनियम के अनुसार; नहीं, यह इसकी व्याख्या के मामले में एक अनुमेय दृष्टिकोण होगा और अधिनियम के विषय और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विधायी इरादे को आगे बढ़ाएगा। यह एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक होगा।

2002 के अधिनियम की धारा 14 का निर्माण, जिसमें सी. जे. एम. को सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने में सुरक्षित लेनदार की सहायता करने के लिए सक्षम होने के रूप में शामिल किया गया है। [पैरा 46] [222-ई-एफ] 6. संक्षेप में, इस न्यायालय का मानना है कि सीजेएम प्रतिभूति प्राप्त व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन से निपटने के लिए समान रूप से सक्षम है।

2002 अधिनियम की धारा 14 के तहत लेनदार। यह न्यायालय तदनुसार, केरल, कर्नाटक, इलाहाबाद और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखता है और मंजूरी देता है और

उस संबंध में बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के उच्च न्यायालयों के निर्णय। नतीजतन, संभावित के तर्क पर विस्तार करना अनावश्यक है।

सुरक्षित लेनदारों (बैंकों) द्वारा सेवा में दबाव डाला गया। [पैरा 48] [222-जी-एच; 223-ए]

मुहम्मद अशरफ और अन्र। वी. भारत संघ (यू. ओ. आई.) और अन्य आकाशवाणी (2009) केरल। 14 ; राधाकृष्णन, वी. एन. वी. केरल और अन्र राज्य। मनु/केई/0677/2008 (करोड़।

2008 का एम. सी. No.4369 दिनांक 20.11.2008); कावेरी

विपणन वी। सरस्वती को-ऑप। बैंक लिमिटेड 111 (2013) बी. सी. 582; मेसर्स टी. आर. ज्वैलरी एंड अदर वी. भारतीय स्टेट बैंक और एक अन्य आकाशवाणी (2016) एपी 125 (एफबी); अभिषेक मिश्रा बनाम। यू. पी. राज्य और अन्य। आकाशवाणी (2016)

सभी। 210 - स्वीकृत किया गया।

द ऑथराइज्ड ऑफ़िसर, इंडियन बैंक v. डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर.

इंडसइंड बैंक लिमिटेड, (जिसे पहले अशोक लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) अपने कानूनी कार्यकारी के माध्यम से,

रवींद्रकुमार प्रकाश भार्गदेव बनाम। पुलिस थाना 2008 (110) बी. ओ. एम. एल. आर. 2880 (22.04.2008 पर निर्णय लिया गया) के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य; अर्जुन अर्बन ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर बनाम. मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट, सोलापुर और अन्य। 2009 (5) एम. एच. एल. जे. 380;

दिनेश कुमार अग्रवाल बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य 2013 (1) सीएचएन 671; के. अरोकियाराज बनाम। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीविल्लिपुथुर विरुधुनगर जिला और

आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड (ए. आई. आर.) (2013) पागल। 206 ; टी. सी. रामदास और अन्य। वी. भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक और अधिकृत अधिकारी और अन्य। एयर (2015) मैड। 67 ; श्याम सुंदर रोहरा बनाम। इंडसइंड बैंक आकाशवाणी (2017) एम. पी. 36; दीपक अग्रवाल

वी. उत्तराखंड राज्य और अन्य एम. ए. एन. यू./यू. सी./0012/2012; आंध्र बैंक और अन्य। वी. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल और अन्य। (2013) 4 सीएचएन 95-अनुमोदित नहीं है।

शंकरलाल अग्रवाल और अन्य। वी. शंकरलाल पोद्दार और अन्य। आकाशवाणी (1965) एससी 507; नगर निगम दिल्ली बनाम। शिव शंकर (1971) 1 एस. सी. सी. 442 [1971] 3 एस. सी. आर. 607; रतन लाल एडुकिया बनाम। भारत संघ (1989) 3 एससीसी 537 [1989] 3 एससीआर 440; किशोरभाई

खमनचंद गोयल बनाम। गुजरात राज्य और दूसरा (2003) 12 एस. सी. सी. 274: [2003] 5 पूरक। एससीआर 1; एम/एस। यूनिक बुटाइल टचूब इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड वी. यू. पी

वित्तीय निगम और अन्य। आकाशवाणी (2003) एस. सी. 2103: [2002] 5 पूरक। एससीआर 666; दिल्ली वित्तीय निगम। और एक अन्य वी। राजीव आनंद और अन्य (2004) 11 एस. सी. सी. 625; ए. एन. रॉय, पुलिस आयुक्त और एक अन्य बनाम। सुरेश शाम सिंह (2006) 5 एससीसी 745: [2006] 3 पूरक। एस. सी. आर. 165; स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम। वी. नोबल कुमार और अन्य (2013) 9 एससीसी 620: [2013] 10 एससीआर 762; श्री भगवती स्टील रोलिंग मिल्स बनाम। केंद्रीय आयुक्त

उत्पाद शुल्क और एक अन्य। (2016) 3 एससीसी 643: [2015] 12 एस. सी. आर. 332; अधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और अन्य। वी. मैथ्यू के. सी. (2018) 3 एससीसी 85: [2018] 1 एस. सी. आर. 233; सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी एंड अदर्स (2018) 9 एससीसी [2019] 13 एस।

(2008) 1 एससीसी 125: [2006] 9 पूरक। एस. सी. आर. 785; बैंक ऑफ इंडिया बनाम पंकज दिलीपभाई हेमनानी और अन्य आकाशवाणी 2007 गुज। 201 ; सोलारिस सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड और एक अन्य वी। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और एक अन्य आई. एल. आर. 2006 केर 645; बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड v. ए. राजप्पा और अन्य (1978) आईएलएलजे 349 एससी; एनईपीसी माइकॉन लिमिटेड बनाम। मैग्ना लीजिंग लिमिटेड 1999 सी. आर. आई. एल. जे. 2883; इंको यूरोप लिमिटेड और अन्य। वी. प्रथम विकल्प वितरण (एक फर्म) और अन्य। 1999 सी. आर. आई. एल. जे. 2883; पद्मसुंदर राव और अन्य बनाम। तमिलनाडु राज्य और अन्य (2002) 255 आईटीआर 147 (एससी); राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। लक्ष्मी नारायण धूत 2007 (2) के. एल. टी. 470 (एससी); भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बनाम। पीयरलेस जनरल फाइनेंस

और निवेश कंपनी लिमिटेड और एक अन्य (1996) 1 एस. सी. सी. 642: [1996] 1 एससीआर 58; केहर सिंह और अन्य बनाम। राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1988) 3 एससीसी 609: [1988] 2 पूरक। एससीआर 24; मैथ्यू वर्गीज बनाम। एम. अमृता कुमार और अन्य (2014) 5 एससीसी 610:

[2014] 2 एस. सी. आर. 736; द ऑथराइज्ड ऑफ़िसर, इंडियन बैंक v. डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर.

ट्रेड वेल एंड अदर वी। इंडियन बैंक और एक अन्य (2007) क्राई। एलजे 2544; रोनित निर्माण प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. राज्य

2011 का बैंक ऑफ इंडिया और अन्य ए. एस. टी. 1337 (दिनांकित)

18 अक्टूबर, 2011); के. आर. चंद्रशेखरन बनाम। संघ

बैंक और अन्य (2013) 4 एससीसी 381 [2013] 4 एससीआर 207 ; भारतीय प्रशासनिक सेवा (एस. सी. एस.) एसोसिएशन,

यू. पी. और अन्य बनाम भारत संघ (1993) सप. 1 एससीसी

730 : [1992] 2 पूरक। एस. सी. आर. 389; नसीरुद्दीन और अन्य

वी. सीता राम अग्रवाल (2003) 2 एससीसी 577: [2003] 1 एससीआर

634 ; गुजरात उच्च न्यायालय और एक अन्य बनाम। गुजरात

किशन मजदूर पंचायत और अन्य (2003) 4 एससीसी

712 : [2003] 2 एससीआर 799; प्रकाश कुमार उर्फ प्रकाश

भुट्टो बनाम। गुजरात राज्य (2005) 2 एससीसी 409: [2005] 1

एस. सी. आर. 408; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नुस्ली

नेविल वाडिया एंड अदर (2008) 3 एस. सी. सी. 279: [2007]

13 एस. सी. आर. 598-संदर्भित।

हर्षद गोवर्धन सोंडागर बनाम। अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्तियाँ

पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड और अन्य (2014) 6

एससीसी 1: [2014] 11 एससीआर 605-प्रतिष्ठित।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम। संघ का

भारत और अन्य (2002) 4 एस. सी. सी. 247: [2002] 2 एससीआर

712 ; जनार्दन बनाम. महाराष्ट्र राज्य (1978) 2 एससीसी

465 : [1978] 3 एस. सी. आर. 586-निर्भर।

होम्स बनाम। ब्रैडफील्ड ग्रामीण जिला परिषद 1949 (1) सभी ईआर 381; सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड v. आशेर (1949) 2

सभी ई. आर. 155; एम. पेंटिया बनाम मुद्दला वीरमल्लपा

[1961] 2 एस. सी. आर. 295-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2009) केर। 14

मंजूरी मिल गई।

पैरा 3

(110) बीओएम एलआर 2880

22.04.2008 पर कटौती करें)

मंजूरी नहीं मिली

पैरा 5

मंजूरी नहीं मिली

(5) एम. एच. एल. जे. 380

पैरा 5

[2019] 13 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

111 (2013) ईसा पूर्व 582

मंजूरी मिल गई।

पै

रा 6

मंजूरी नहीं मिली

2013 (1) सीएचएन 671

पै

रा 6

पै

रा 6

एयर (2013) मैड। 206

मंजूरी नहीं मिली

एयर (2015) मैड। 67

पै

रा 6

मंजूरी नहीं मिली

आकाशवाणी (2017) एम. पी. 36

पै

रा 6

मंजूरी नहीं मिली

(2013) 4 सीएचएन 95

मंजूरी नहीं मिली

पै

रा 6

मंजूरी मिल गई।

आकाशवाणी (2016) एपी 125 (एफबी)

पै

रा 7

आकाशवाणी (2016) सभी। 210

मंजूरी मिल गई।

पै

रा 7

आकाशवाणी (1965) एससी 507

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[1971] 3 एससीआर 607

पै

रा 11

संदर्भित किया गया है

[1989] 3 एससीआर 440

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[2003] 5 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[2002] 5 पूरक। एससीआर 666

पै

रा 11

संदर्भित किया गया है

(2004) 11 एस. सी. सी. 625

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[2006] 3 पूरक। एससीआर 165

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[2013] 10 एससीआर 762

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[2015] 12 एससीआर 332

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[2018] 1 एससीआर 233

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[2018] 7 एससीआर 1191

पै

रा 11

संदर्भित किया गया है

[2002] 2 एससीआर 712

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

[2010] 8 एससीआर 81

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[2005] 2 पूरक। एससीआर 752

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[2012] 13 एससीआर 1005

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[2016] 1 एससीआर 419

पै

रा 17

संदर्भित किया गया है

[2000] 2 पूरक। एससीआर 329

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[1976] 1 एससीआर 505

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[1970] 2 एससीआर 10

संदर्भित किया गया है

पैरा 17 द अथॉरिटी ऑफ़िसर, इंडियन बैंक v. डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर.

संदर्भित किया गया है

1 एससीआर 629

पैरा 17

2 पूरक। एससीआर 528

पैरा 17

संदर्भित किया गया है

1 एससीआर 383

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

पैरा 21

3 एससीआर 982

संदर्भित किया गया है

9 पूरक। एससीआर 785

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

पैरा 21

007 गुज। 201

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

2006 केर 645

1) सभी ईआर 381

पैरा 21

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

2 सभी ई. आर. 155

पैरा 21

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

2 एससीआर 295

पैरा 21

आईएलएलजे 349 एससी

संदर्भित किया गया है

क्रिएलजे 2883

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

255 आईटीआर 147 (एससी)

पैरा 21

संदर्भित किया गया है

(2) के. एल. टी. 470 (एससी)

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

पैरा 21

1 एससीआर 58

संदर्भित किया गया है

2 पूरक। एससीआर 24

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

2 एससीआर 736

पैरा 25

संदर्भित किया गया है

क्राई। एलजे 2544

(2) सी. डब्ल्यू. सी. 115

संदर्भित किया गया है

पैरा 28

(1) सीटीसी 341

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

4 एससीआर 207

2 पूरक। एससीआर 389

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

1 एससीआर 634

पैरा 29

पैरा 29

2 एससीआर 799

संदर्भित किया गया है

1 एससीआर 408

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

13 एससीआर 598

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

प्रतिष्ठित

11 एससीआर 605

पैरा 38

उस पर भरोसा करें

3 एससीआर 586

[2019] 13 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 6295

2015 से।

मदुरै के 27.08.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने लिखित याचिका में डब्ल्यू. पी. (एम. डी.) नं.

7155 2012 से।

के साथ

सिविल अपील सं। 7554-7555 , 7557 , 7558 , 7560-7561 2019 से, आपराधिक अपील सं। 900 , 945 , 1463-1464 , 1465 , 1478 , 1466 , 1467 ,

1468 , 1469 , 1470 , 1471 , 1472 , 1473 , 1475 , 1476 , 1477 2019 से।

ध्रुव मेहता, सुधीवासुदेवन, जयदीप गुप्ता, जयंत मुथराज,

श्री एड. , हिमांशु मुंशी, मनीष गरानी, अविनाश कुमार भारती,

संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, भरत गंगाधरन, कौसर हुसैन, सुश्री शुभ्रा कपूर, वी. बालाजी, एमएसएम असाइथांबी, सी. कन्नन, राकेश के. शर्मा, श्रीराम पी., एमएस विष्णु शंकर, अंशुमन अशोक,

जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., सुश्री प्रियंका प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश, गर्वेश काबरा, सुश्री पूजा काबरा, ए. सी. फिलिप, राजवर्धन सिंह, राबिन

लक्ष्मण आर. एस., अश्विनी कुमार सिंह, हीरेन दासन, उदय गुप्ता, चंद कुरैशी, हरीश दासन, एम. के. त्रिपाठी, अनंगा भट्टाचार्य, रोहित राव एन., सुश्री देवहुती तमुली, शौर्य गर्ग, मेसर्स वेरिटास लेजिस, गोविंद

मनोहरन, मनु कृष्णन, ए. कार्तिक, बी. सुलेमान, बीजू पी. रमन, सुश्री उषा नंदिनी वी., रॉय अब्राहम, सुश्री रीना रॉय, सुश्री सीमा जैन, अखिल अब्राहम, हिमिंदर लाल, कुरियाकोस वर्गीज, दिव्यम अग्रवाल, सुश्री पियूषा सिंह, मेसर्स। के. एम. एन. पी. लॉ, पी. वी. योगेश्वरन, आशीष कुमार उपाध्याय, वाई. लोकेश, बाबुल कुमार, डॉ. ललित भसीन, सुश्री नीना गुप्ता, सुश्री पलक चड्ढा, धवल जैन, मुदित शर्मा, वी. प्रभाकर, सुश्री ज्योति

पराशर, एन. जे. रामचंदर, एस. राजप्पा, राजेश कुमार-I, अनंत गौतम, अनमोल मेहता, सुश्री साक्षी गौर, सुश्री खुशबू अग्रवाल (के लिए)

एम/एस। मित्तर एंड मित्तर कंपनी), ई. ईश्वरन, साजिथ पी. वारियर, हारिस बीरन, मुश्ताक सलीम, उस्मान गनी खान, राधा श्याम जेना, के. राजीव,

सरफराज खान, फिरासत अली सिद्दीकी, अरविंद कुमार, विजय पाल, राम स्वरूप शर्मा, जनेंद्र लाल, सुश्री यास्मीन तारापुर, मैसर्स। जनेन्द्र लाल एंड कंपनी,

पी. आई. जोस, सुश्री पी. एस. चंद्रलेखा, फिलिप के. वर्गसे, अरविंद एस., संजय कपूर, भरत गंगाधरन, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

द ऑथराइज्ड ऑफ़िसर, इंडियन बैंक v. डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. देरी को माफ कर दिया गया। विशेष अवकाश याचिकाओं में दी गई छुट्टी।

2. इन अपीलों में शामिल मूल प्रश्न है: क्या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (संक्षेप में, "सी. जे. एम".) प्रक्रिया करने में सक्षम है

सुरक्षित लेनदार का सुरक्षित का कब्जा लेने का अनुरोध वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत परिसंपत्ति

संक्षिप्त में, "2002 अधिनियम")? विभिन्न उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी विचार हैं

इस सवाल पर। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के उच्च न्यायालयों ने उक्त प्रावधान की व्याख्या इस अर्थ में की है

कि महानगर क्षेत्रों में केवल मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (संक्षेप में, "सीएमएम") और गैर-में जिला मजिस्ट्रेट (संक्षेप में, "डीएम")

महानगरीय क्षेत्र इस तरह के अनुरोध से निपटने के लिए सक्षम हैं। दूसरी ओर, केरल, कर्नाटक, इलाहाबाद और आंध्र के उच्च न्यायालय

प्रदेश ने इसी प्रावधान के विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है, जिसका अर्थ है कि यह गैर-महानगरीय क्षेत्रों में सी. जे. एम. को प्रतिबंधित या बाधित नहीं करता है। 2002 अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्ति का प्रयोग करना।

3. सबसे पहला निर्णय मुहम्मद अशरफ और अन्र में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ का है। बनाम यूनियन ऑफ

भारत (यूओआई) और अन्य 1. न्यायालय ने उल्लेख किया कि 2002 की धारा 14

अधिनियम स्पष्ट रूप से महानगरीय क्षेत्रों और डीएम के संबंध में सीएमएम को संदर्भित करता है।

गैर-महानगरीय क्षेत्रों के लिए। इसके बाद यह देखा गया कि शक्तियों के रूप में

और गैर-महानगरीय क्षेत्रों में सी. जे. एम. और महानगरीय क्षेत्रों में सी. एम. एम. के कार्य एक ही हैं (केवल अंतर के साथ जो सी. एम. एम. करता है)। महानगरीय क्षेत्रों में शक्तियाँ और गैर-महानगरीय क्षेत्रों में सी. जे. एम.) और

अभिव्यक्ति सीजेएम और सीएमएम का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, अर्थात्, एक अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र के आधार पर दूसरे का पर्याय है,

व्याख्यात्मक प्रक्रिया, इसने निष्कर्ष निकाला कि गैर-महानगरीय क्षेत्रों में, डीएम के अलावा, सीजेएम भी धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम है

14 2002 अधिनियम। यह निर्णय इस न्यायालय के समक्ष अपील में लिया गया था।

2009 का एस. एल. पी. (सी) No.1671 होने के नाते, जिसे 2 फरवरी, 2009 को खारिज कर दिया गया क्योंकि विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनाया गया था।

1 एयर (2009) केर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. इसके तुरंत बाद, राधाकृष्णन, वी. एन. बनाम में केरल उच्च न्यायालय की एक और खंड पीठ। केरल राज्य और Anr.2 ने दोहराया कि

मुहम्मद अशरफ (ऊपर) में लिया गया दृष्टिकोण और पुनर्विचार के लिए मामले को पूर्ण पीठ को भेजने से इनकार कर दिया।

5. हालाँकि, लगभग उसी समय, इंडसइंड बैंक लिमिटेड में बॉम्बे उच्च न्यायालय (औरंगाबाद पीठ), (जिसे पहले इंडसइंड बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

अशोक लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड) अपने कानूनी कार्यकारी, रवींद्रकुमार प्रकाश भार्गदेव बनाम के माध्यम से। महाराष्ट्र राज्य ने पुलिस स्टेशन 3 के माध्यम से बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण अपनाया था। ऐसा था।

अभिनिर्धारित किया कि यह "सीजेएम" के लिए "सीएमएम" शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए खुला नहीं है। क्योंकि, 2002 के अधिनियम में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि विधायिका का इरादा महानगर क्षेत्रों के बाहर सी. जे. एम. को सशक्त बनाने का था, हालांकि न्यायिक अधिकारी (सी. एम. एम.) को महानगर क्षेत्रों में इस तरह के अनुरोध से निपटने की शक्ति सौंपी गई थी। फिर से अर्जुन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर बनाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोलापुर और Ors.4 में,

बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ ने राय दी कि 2002 के अधिनियम की धारा 14, किसी भी अविभाज्य शब्दों में, शक्तियों के प्रयोग को सीमित नहीं करती है केवल सीएमएम या डीएम द्वारा, जैसा भी मामला हो।

6. हालाँकि, 2013 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कावेरी विपणन बनाम। सरस्वती को-ऑप। बैंक लिमिटेड 3 ने वही दृष्टिकोण अपनाया जो केरल उच्च न्यायालय ने लिया था कि सीजेएम 2002 अधिनियम की धारा 14 के तहत भी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन दिनेश कुमार अग्रवाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और के. अरोकियाराज बनाम में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीविल्लिपुथुर विरुधुनगर जिला और आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड ने लिया

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया एक अलग दृष्टिकोण और यह अभिनिर्धारित किया गया कि सीएमएम या डीएम, जैसा भी मामला हो, अकेले 2002 अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। बाद में, टी. सी. रामदास और अन्य में मद्रास उच्च न्यायालय। बनाम। मुख्य प्रबंधक और अधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक और Ors.[3], मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

2 मनु/केई/0677/2008 (करोड़। 2008 का एम. सी. No.4369 दिनांक 20.11.2008) 3 2008 (110) बी. ओ. एम. एल. आर. 2880 (आई. डी. 2 पर तय) 42009 (5) एम. एच. एल. जे. 380

5 111 (2013) ईसा पूर्व 582

6 2013 (1) सीएचएन 671

7 एयर (2013) मैड। 206

8 एयर (2015) मैड।

67 द ऑथराइज्ड ऑफ़िसर, इंडियन बैंक v. डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

श्याम सुंदर रोहरा बनाम इंडसइंड बैंक ', उच्च न्यायालय

उत्तराखंड में नैनीताल में दीपक अग्रवाल बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य और आंध्र बैंक और अन्य में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ। बनाम श्री दिनेश कुमार अग्रवाल और अन्य "। यह भी माना गया कि सीएमएम या डीएम, जैसा भी मामला हो, अकेले शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं

2002 अधिनियम की धारा 14 के तहत।

7. जबकि, हैदराबाद में उच्च न्यायालय के लिए

मैसर्स टी. आर. ज्वैलरी और अन्य बनाम में तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य 1 2 और उच्च

अभिषेक मिश्रा बनाम में इलाहाबाद का न्यायालय। यू. पी. राज्य और अन्य। व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा यह राय दी गई कि सी. जे. एम. भी 2002 के अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम था।

8. उधारकर्ताओं या उधारकर्ताओं के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों का तर्क होगा कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 की शाब्दिक व्याख्या होनी चाहिए

वरीयता दी जाती है। ऐसे मामले में, सुरक्षित लेनदार सुरक्षित संपत्ति या संपत्ति पर कब्जा करने के उद्देश्य से (अन्य तरीकों से संपत्ति की वसूली का सहारा लेने के बजाय) केवल महानगरीय क्षेत्रों में सीएमएम और गैर-महानगरीय क्षेत्रों में डीएम की सहायता ले सकता है। चूंकि प्रावधान अविभाज्य है, इसलिए इसकी व्याख्या किसी अन्य तरीके से नहीं की जा सकती है। ऐसा करने के लिए विधायी इरादे के साथ हिंसा करना आवश्यक होगा। वहाँ है। यह धारणा कि संसद को मौजूदा कानूनों की पूरी जानकारी थी और वह दायरे के बीच अंतर या समानता के प्रति सचेत थी

Cr.P.C और अन्य कानूनों के प्रावधान के संदर्भ में, जैसा भी मामला हो, CMM, DM और CJM द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का। इस तरह की जागरूकता के बावजूद, संसद ने जानबूझकर स्पष्ट रूप से पहचान करने का विकल्प चुना,

प्राधिकरण जो 2002 अधिनियम की धारा 14 के तहत सुरक्षित लेनदार के आवेदन (आवेदनों) पर विचार कर सकता है। इस अर्थ में, प्रावधान संबंधित क्षेत्र के लिए प्राधिकरण व्यक्तित्व पदनाम, अर्थात् सीएमएम और डीएम को परिभाषित करने की प्रकृति में है। 9. विद्वान वकील तर्क देते हैं कि यदि ऐसा है, तो न्यायालय के लिए किसी अन्य प्राधिकारी को शामिल करने के लिए व्याख्यात्मक प्रक्रिया का सहारा लेना खुला नहीं है

जैसे कि सी. जे. एम. केवल इसलिए कि सी. जे. एम. और सी. एम. एम. द्वारा Cr.P.C और अन्य कानूनों के तहत किए गए कार्य समान हैं। कोई जगह नहीं है

9 आकाशवाणी (2017) एमपी 36

10 मनु/यू. सी./0012/2012

11 1 1 (2013) 4 सीएचएन 95

12 आकाशवाणी (2016) एपी 125 (एफबी)

13 आकाशवाणी (2016) सभी।

2002 के अधिनियम की धारा 14 के रूप में असंदिग्ध प्रावधान के आलोक में कैसस ओमिसस के सिद्धांत का आह्वान करना। इस प्रकार, Cr.P.C के तहत CMM और CJM द्वारा निष्पादित कार्यों की समानता का कोई लाभ नहीं होगा। बल्कि, न्यायालय को इस उक्ति का पालन करना चाहिए कि "कम इनवर्बिस नुल्ला एम्बिगुइटास एस्ट, नॉन डिबेट एडमिटी स्वैच्छिक क्वेस्टियो" और क़ानून की सादा भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। के बीच अंतर प्रदर्शित करने के लिए न्यायिक अधिकारियों के पदानुक्रम में, निर्भरता को एक चार्ट पर रखा गया है जो उन्हें संबंधित क्षेत्र में गैर-न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में उनके कार्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से अलग करता है। द.

डी. एम. का कार्यालय अनिवार्य रूप से कार्यकारी कार्यों का निर्वहन करता है और गैर-न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेणी के भीतर आता है। दूसरी ओर, सी. एम. एम. या सी. जे. एम. के कार्यालय में कार्यकारी और न्यायिक दोनों कार्य शामिल होंगे। यह अंतर महत्वपूर्ण है और यह माना जाना चाहिए कि संसद

इस भेद के बारे में जागरूक। यह भी आग्रह किया जाता है कि संसद बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985-धारा 29, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949-धारा 45एस, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, 1984-धारा 51, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987-धारा 36-एच, कंपनी अधिनियम, 1956-धारा 10एफपी, कंपनी अधिनियम, 2013-धारा 429 और लघु उद्योगों सहित विभिन्न अधिनियमों में भारतीय विकास बैंक अधिनियम, 1989-धारा 39 ने सहायता प्राप्त करने के लिए सीएमएम/डीएम को सशक्त बनाने के लिए इसी तरह के प्रावधान लागू किए हैं।

बेची गई या पट्टे पर दी गई संपत्ति का अधिकार।

10. यह आग्रह किया जाता है कि किसी भी अन्य दृष्टिकोण को अपनाने के लिए 2002 के अधिनियम की धारा 14 को फिर से लिखने और इस प्रक्रिया में हिंसा करने की आवश्यकता होगी।

" मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट "या" न्यायिक मजिस्ट्रेट ", जैसा भी मामला हो, अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने के लिए हो सकता है। 11. उपरोक्त प्रस्तुतियों को पुष्ट करने के लिए, शंकरलाल अग्रवाल और अन्य पर भरोसा किया जाता है। बनाम शंकरलाल पोद्दार और Ors.[1]4,

दिल्ली नगर निगम बनाम शिव शंकर 1 5, रतन लाल एडुकिया बनाम भारत संघ ", किशोरभाई खमनचंद गोयल बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य", मेसर्स। अद्वितीय बुटाइल टच्यूब उद्योग

14 आकाशवाणी (1965) एससी 507

16 (1989) 3 एस. सी. सी. 537

17 (2003) 12 एस. सी. सी. 274 द अथॉरिटी ऑफ़िसर, इंडियन बैंक बनाम. डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्रा. लि. बनाम। यू. पी. वित्तीय निगम और अन्य। 1 8 18, दिल्ली वित्तीय निगम। और एक और बनाम। राजीव आनंद और अन्य ", ए. एन. रॉय,

पुलिस आयुक्त और एक अन्य बनाम सुरेश शाम सिंह 20 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम वी. नोबल कुमार और अन्य 2 1 हर्षद गोवर्धन सोंडागर बनाम अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्तियाँ

रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अन्य 22, श्री भगवती स्टील रोलिंग मिल्स बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त और एक अन्य। 23, अधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और अन्य। बनाम मैथ्यू, सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम दिलीप कुमार एंड कंपनी और अन्य।

12. इसके विपरीत, सुरक्षित लेनदार (बैंक) और नीलामी खरीदार केरल, आंध्र प्रदेश, इलाहाबाद और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ हमारी सराहना करेंगे। उनके अनुसार, 2002 के अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रक्रिया को केवल सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के लिए सुरक्षित लेनदार द्वारा लागू किया जा सकता है। आवेदन को एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित सुरक्षित लेनदार द्वारा दायर किया जाना आवश्यक है जिसमें इसके लिए प्रदान की गई शर्तों का उचित अनुपालन बताया गया है। सी. एम. एम. या डी. एम. द्वारा की जाने वाली 2002 के अधिनियम की धारा 14 के तहत परिकल्पित जांच न्यूनतम और बुनियादी प्रकृति की है। यह केवल दायर किए गए संलग्न हलफनामे सहित संबंधित आवेदन में सुरक्षित लेनदार द्वारा बताई गई तथ्यात्मक स्थिति के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए है।

इसके साथ। चुनाव लड़ने वाले दलों के अधिकारों और देनदारियों के बारे में निर्णय लेना कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। जाँच की प्रकृति अनिवार्य रूप से प्रशासनिक या कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग की होती है। उप-धारा (1ए) डीएम या सीएमएम को अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को कब्जा करने के लिए अधिकृत करने में सक्षम बनाती है।

13. सीएमएम और सीजेएम को Cr.P.C की योजना के अनुसार शक्तियों से लैस किया गया है। सीएमएम और सीजेएम का कार्यालय विनिमेय है और वे

18 आकाशवाणी (2003) एस. सी. 2103 19 (2004) 11 एस. सी. सी. 625

22 (2014) 6 एससीसी 1 23 (2016) 3 एस. सी. सी. 643

24 (2018) 3 एससीसी 85

25 (2018) 9 एससीसी 1 [2019] 13 एस. सी. आर.

दृष्टिकोण। इसलिए, इसे गैर-महानगरीय क्षेत्र में सी. जे. एम. द्वारा प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। 2002 के अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, ताकि क्रमशः सीएमएम और सीजेएम द्वारा शक्तियों के प्रयोग के संबंध में Cr.P.C के तहत व्यवस्था की अवहेलना की जा सके। दूसरी ओर, 2002 के अधिनियम की धारा 37 यह स्पष्ट करती है कि Cr.P.C के प्रावधानों को लागू करने से पूरी तरह से इनकार नहीं किया गया है। 2002 के अधिनियम की धारा 37 यह अभिधारणा करता है कि लागू अन्य कानूनों का अनुप्रयोग जारी रहेगा और 2002 के अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान इसके अतिरिक्त होंगे न कि इसके अपमान में।

14. यह आग्रह किया जाता है कि 2002 का अधिनियम "सीएमएम" या "डीएम" शब्द को परिभाषित नहीं करता है। इसके बाद रिलायंस को Cr.P.C की धारा 2 (k) पर रखा जाता है।

अभिव्यक्ति "महानगरीय क्षेत्र" और Cr.P.C की धारा 3 को परिभाषित करता है. जो अभिव्यक्ति "CMM" या "DM" को परिभाषित करता है। न्यायनिर्णायक प्रक्रिया जैसे कि साक्ष्य की छान-बीन, मुकदमा आदि केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाने की आवश्यकता होती है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट केवल कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। निर्विवाद रूप से गैर-महानगरीय क्षेत्र में सी. जे. एम. की शक्तियाँ और

महानगरीय क्षेत्र में सी. एम. एम. बराबर हैं और उन शब्दों का उपयोग पर्याय के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, Cr.P.C की धारा 12 पर निर्भरता रखी गई है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित, स्थानीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित धारा 14, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सीएमएम और अतिरिक्त मुख्य के न्यायालयों से संबंधित धारा 16 और 17 क्रमशः महानगर मजिस्ट्रेट। Cr.P.C की धारा 20.

समान होना चाहिए और उन्हें सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) के एक ही संवर्ग में रखा जाना चाहिए। रिलायंस को स्टैंडर्ड चार्टर्ड पर भी रखा गया है। बैंक (ऊपर), यह तर्क देने के लिए कि विभिन्न क्षेत्रीय क्षेत्रों में संचालन को छोड़कर, सी. जे. एम. और सी. एम. एम. द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकार क्षेत्र या शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार यह आग्रह किया जाता है कि धारा 14 में "सीएमएम/डीएम" अभिव्यक्तियों का अर्थ गैर-महानगरीय क्षेत्र में "सीजेएम" के रूप में भी लिया जाए।

15. इसके बाद रिलायंस को सिंधी एजुकेशन सोसाइटी और एक अन्य बनाम मुख्य सचिव, एन. सी. टी. दिल्ली सरकार और

अन्य 27, रानी कुसुम (श्रीमती) बनाम। कंचन देवी (श्रीमती) और अन्य 28

26 (2002) 4 एस. सी. सी. 247 27 (2010) 8 एस. सी. सी. 49 28 (2005) 6 एस. सी. सी. 705 प्राधिकरण अधिकारी, भारतीय बैंक बनाम।

डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

और विनय त्यागी बनाम इरशाद अली उर्फ दीपक और अन्य ", समर्थन करने के लिए

यह निवेदन कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 को एक ऐसा निर्माण प्राप्त होना चाहिए जो न्याय और विधायी उद्देश्य के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा हासिल करने के लिए। धारा 14 की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या जिसमें -

गैर-महानगरीय क्षेत्र में सी. जे. एम. का कार्यालय विधायी उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा क्योंकि यह सुरक्षित लेनदार को सी. जे. एम. से संपर्क करने में सक्षम बनाएगा। वहां की सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा कर लें।

16. यह आग्रह किया जाता है कि उधारकर्ता या इसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति

उधारकर्ताओं को कोई शिकायत करने के लिए नहीं सुना जा सकता है, यदि आवेदन

धारा 14 के तहत दायर किया गया मामला न्यायिक दिमाग द्वारा निपटाया जाता है; और अधिक क्योंकि की जाने वाली जांच की प्रकृति सीमित है। इसमे यह

केवल सुरक्षित लेनदार द्वारा अनुपालनों का सत्यापन। जो भी हो,

सी. जे. एम. द्वारा पारित आदेश सी. एम. एम./डी. एम. द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उपलब्ध होगा। इसी तरह, उधारकर्ताओं या उनके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सभी विवादास्पद मुद्दों को उनके द्वारा भी उठाया जा सकता था। सी. जे. एम. के समक्ष, जो इससे निपटने के लिए समान रूप से सक्षम होगा

जैसा कि कानून के अनुसार सीएमएम/डीएम द्वारा किया जाएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सीएमएम और सीजेएम दोनों समान कार्यों का निर्वहन करते हैं और उनका इलाज किया जाता है

संबंधित क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में सभी उद्देश्यों के लिए समतुल्य, यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन को संसाधित करने का मामला नहीं है जो हीन है और ऐसा करने के लिए सक्षम या योग्य नहीं है।

17. उपरोक्त प्रस्तुतियों को पुष्ट करने के लिए विशाल एन. कलसरिया बनाम पर निर्भरता रखी गई है। बैंक ऑफ इंडिया और अन्य 3 0, ए. पी. राज्य बनाम पोलामाला राजू उर्फ राजाराव 3 1, श्री नसीरुद्दीन बनाम राज्य परिवहन

अपीलीय न्यायाधिकरण 3 2, भूदान सिंह और एक अन्य बनाम नबी बक्स और

अन्य 3 3, के. पी. वर्गीज बनाम आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम और अन्य 3 4, आत्मा राम मित्तल बनाम ईश्वर सिंह पुनिया 3 5 और मेसर्स।

गिरधारी लाल एंड संस बनाम. बलबीर नाथ माथुर और अन्य 3 6 36।

29 (2013) 5 एससीसी 762 30 (2016) 3 एससीसी 762 31 (2000) 7 एससीसी 75 32 (1975) 2 एससीसी 671 33 (1969) 2 एससीसी 481 34 (1981) 4 एससीसी 173 35 (1988) 4 एससीसी 284 36 (1986 2 एससीसी 237 [2019] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. यह भी आग्रह किया जाता है कि कुछ राज्यों में, डी. एम. के कार्यों का निर्वहन राज्य के उपायुक्त द्वारा किया जाता है जैसे कि झारखंड राज्य। इसलिए, उच्च न्यायालयों द्वारा दी गई व्याख्या कि 2002 अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन भी हो सकता है

गैर-महानगरीय क्षेत्र में सी. जे. एम. के समक्ष स्थानांतरित किया जाना, सभी संबंधित लोगों के हितों की सेवा करेगा और इसके विधायी इरादे को भी प्रभावी बनाएगा।

न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना 2002 के अधिनियम के तहत मामलों का त्वरित समाधान। अंत में, यह आग्रह किया जाता है कि यदि यह न्यायालय संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए इस विचार को बरकरार रखता है कि सीजेएम 2002 अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई से निपटने के लिए सक्षम नहीं है, तो यह न्यायालय संभावित अतिनिर्णय के सिद्धांत को लागू कर सकता है और इस उद्देश्य के लिए सीजेएम द्वारा पारित सभी आदेशों को बचा सकता है।

वर्गीज, श्री ए. कार्तिक, श्री ई. ईश्वरन, श्री साजिथ पी. वारियर, श्री गोविंद मनोहरन, सुश्री नीना गुप्ता, श्री रॉय अब्राहम, श्री फिलिप के. वर्गसे, श्री राकेश के. शर्मा, श्री राधा श्याम जेना, श्री हिमांशु मुंशी, श्री राम स्वरूप शर्मा और श्री मुदित शर्मा, अधिवक्ता। 20. हम 2002 के अधिनियम की धारा 14 को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

मजिस्ट्रेट सुरक्षित लेनदार को लेने में सहायता करेगा सुरक्षित संपत्ति का अधिकार। - (1) कहाँ का कब्ज़ा

किसी भी सुरक्षित संपत्ति को सुरक्षित लेनदार द्वारा लिया जाना आवश्यक है या यदि किसी भी सुरक्षित संपत्ति को प्रावधानों के तहत सुरक्षित लेनदार द्वारा बेचा या स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

इस अधिनियम के तहत, प्रतिभूत लेनदार इस उद्देश्य के लिए कर सकता है -

ऐसी किसी भी सुरक्षित संपत्ति का कब्जा या नियंत्रण लेना, मुख्य महानगर दंडाधिकारी से लिखित अनुरोध या

जिला मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसा कोई

सुरक्षित संपत्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज हो सकते हैं - इसका कब्जा लेने के लिए स्थित या पाया गया, और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या, जैसा भी मामला हो, जिला

मजिस्ट्रेट, उसे किए जा रहे ऐसे अनुरोध पर

(क) ऐसी संपत्ति और संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेना।

और; और

(ख) ऐसी परिसंपत्तियों और दस्तावेजों को सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित करना:

द ऑथराइज्ड ऑफ़िसर, इंडियन बैंक v. डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

[बशर्ते कि सुरक्षित लेनदार द्वारा किसी भी आवेदन को अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत पुष्टि किए गए शपथ पत्र द्वारा पूरा किया जाएगा

उपचारित लेनदार, यह घोषणा करते हुए कि -

((i) दी गई वित्तीय सहायता की कुल राशि और आवेदन दाखिल करने की तारीख तक बैंक का कुल दावा;

((ii) उधारकर्ता ने विभिन्न प्रकार के प्रतिभूति ब्याज बनाए हैं।

यह कि बैंक या वित्तीय संस्थान ऐसी संपत्तियों पर एक वैध और स्थायी प्रतिभूति हित रखता है और बैंक या वित्तीय संस्थान का दावा सीमा के भीतर है। अवधि;

((iii) उधारकर्ता ने विभिन्न प्रकार के प्रतिभूति ब्याज बनाए हैं।

ऊपर उपखंड (ii) में निर्दिष्ट संपत्तियों का विवरण देने वाली संपत्तियाँ; ((iv) उधारकर्ता ने निर्दिष्ट राशि को मिलाकर दी गई वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान में चूक की है।

(v) वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान में इस तरह के चूक के परिणामस्वरूप उधारकर्ता के खाते को निम्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है -

चूक वित्तीय सहायता के भुगतान की मांग करने वाली धारा 13 की उप-धारा (2) के प्रावधानों को लागू किया गया है उधारकर्ता;

(vii) प्राप्त सूचना के उत्तर में आपत्ति या अभ्यावेदन सुरक्षित लेनदार द्वारा उधारकर्ता से इस तरह की आपत्ति या प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति के कारणों पर विचार किया गया है।

उधारकर्ता को सूचित किया गया था; (viii) उधारकर्ता ने उपरोक्त सूचना के बावजूद वित्तीय सहायता का कोई पुनर्भुगतान नहीं किया है और इसलिए अधिकृत अधिकारी धारा 13 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का हकदार है।

मूल अधिनियम की धारा 14;

(ix) कि इस अधिनियम के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम

इसका पालन किया गया था:

बशर्ते कि जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट से, [2019] 13 एस. सी. आर. के रूप में शपथ पत्र प्राप्त होने पर।

3 [बशर्ते कि 4 [यह भी] कि यदि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है अपने नियंत्रण से परे कारणों के लिए तीस दिनों के लिए, वह, उसी के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद, ऐसी आगे की अवधि के भीतर आदेश पारित कर सकता है, लेकिन कुल साठ दिनों से अधिक नहीं।]

बशर्ते कि पहले परंतुक में उल्लिखित शपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता किसी भी जिले के समक्ष लंबित कार्यवाही पर लागू नहीं होगी। मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को।]

[(1ए) जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर

मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है,

((i) ऐसी परिसंपत्तियों और संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेना।

और; और

((ii) ऐसी परिसंपत्तियों और दस्तावेजों को प्रतिभू को अग्रेषित करना।

लेनदार।]

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जिले के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट

मजिस्ट्रेट ऐसे कदम उठा सकता है या उठाने का कारण बन सकता है और ऐसे बल का उपयोग कर सकता है, जो उसकी राय में आवश्यक हो। (3) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट [मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी] का कोई कार्य नहीं।

इस धारा के अनुसरण में किए गए कार्य को किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के समक्ष प्रश्न में बुलाया जाएगा।

1. इंस. 2013 के अधिनियम 1 द्वारा, एस। 6 (क) (डब्ल्यू. ई. एफ. 15-1-2013, वीडियो

एस. ओ. 171 (ई), दिनांक 15-1-2013)।

2. उप. 2016 के अधिनियम 44 द्वारा, एस। 12 (i) (डब्ल्यू. ई. एफ. 1-9-2016, वीडियो

एस. ओ. 2831 (ई), दिनांक 1 सितंबर, 2016)।

3. इंस. 2016 के अधिनियम 44 द्वारा, एस। 12 (ii) (डब्ल्यू. ई. एफ. 1-9-2016, वीडियो

एस. ओ. 2831 (ई), दिनांक 1 सितंबर, 2016)।

4. शुद्धिपत्र अधिसूचना द्वारा संशोधित, में प्रकाशित

भारत का राजपत्र, अतिरिक्त। , पं. II, सेक। 1 , No.56, दिनांक 8 तारीख

सितंबर, 2016।

द ऑथराइज्ड ऑफ़िसर, इंडियन बैंक v. डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

5. इंस. 2013 के अधिनियम 1 द्वारा, एस। 6 (ख) (डब्ल्यू. ई. एफ. 15-1-2013, वीडियो

एस. ओ. 171 (ई), दिनांक 15-1-2013)।

6. इंस. 2013 के अधिनियम 1 द्वारा, एस। 6 (ग) (डब्ल्यू. ई. एफ. 15-1-2013, वीडियो

एस. ओ. 171 (ई), दिनांक 15-1-2013)।"

केरल उच्च न्यायालय द्वारा मुहम्मद में निर्णय दिए जाने के प्रासंगिक समय पर लागू होने वाला अपरिवर्तित प्रावधान।

अशरफ (ऊपर), कुछ अलग थे। उप-धारा (1ए) प्रचलन में नहीं थी। यह 2013 में एक संशोधन के माध्यम से आया है। इस प्रावधान में 2013 में संशोधन किया गया था और 2016 में इसमें और संशोधन किया गया था, जैसा कि अब तक निकाले गए हिस्से में पुनः प्रस्तुत किया गया है। 21. मुहम्मद अशरफ (उपरोक्त) मामले में केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने संविधान की धारा 14 में संशोधन नहीं किए जाने के बाद

2002 अधिनियम ने राय दी थी कि उक्त प्रावधान एक प्रक्रियात्मक उपाय है जिससे सी. एम. एम. या डी. एम., जैसा भी मामला हो, सुरक्षित परिसंपत्तियों या दस्तावेजों का कब्जा लेने के लिए सुरक्षित लेनदार को सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है। उक्त प्राधिकारी को ऐसे कदम उठाने और ऐसे बल का उपयोग करने का अधिकार है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों और उनसे संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने के लिए आवश्यक हो। आश्चर्यजनक रूप से, प्राधिकरण का कार्य संरक्षित है और 2002 के अधिनियम की धारा 34 के संदर्भ में किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष इसकी कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसने यह भी नोट किया कि प्राधिकरण द्वारा विवाद का परीक्षण या निर्णय नहीं है

इस धारा के तहत विचार किया गया। हालांकि, सीमित जांच की जानी है कि क्या सुरक्षित संपत्ति पहचान योग्य है और क्या 60

धारा 13 (2) के तहत दिनों का नोटिस जारी किया गया था जो सुरक्षित लेनदार को धारा 13 (4) का सहारा लेने और सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने में सक्षम बनाता है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2002 अधिनियम की धारा 14 केवल शक्ति का निष्पादन करने और सुरक्षित लेनदार की सहायता करने के उद्देश्य से है -

सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लें। इस तरह की कार्रवाई से प्रभावित उधारकर्ता या व्यक्ति को रिट कोर्ट के समक्ष न्यायिक समीक्षा का अधिकार है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड

और अन्य बनाम में निर्धारित किया गया है। भारत संघ और अन्य 3 7. डिवीजन बेंच ने तब नोट किया कि 2002 का अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है, जिसमें सुरक्षित लेनदार द्वारा उठाए गए किसी भी उपाय को अमान्य घोषित करने और जिन व्यक्तियों से कब्जा लिया गया था, उन्हें कब्जे की परिणामी बहाली के लिए न्यायाधिकरण की शक्तियां शामिल हैं। न्यायालय ने दोहराया कि धारा 14 में निर्दिष्ट प्राधिकरण में निहित किसी भी न्यायिक शक्ति के अभाव में 2002 के अधिनियम में निहित शक्तियों का प्रयोग करने की कोई शक्ति नहीं थी

37 (2004) 4 एस. सी. सी. 311 (अनुच्छेद Nos.80 और 81)

9] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसमें इस कथन से सहमति व्यक्त की गई कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 के तहत निर्दिष्ट प्राधिकरण केवल यह सत्यापित कर सकता है कि धारा 13 (2) के तहत निर्धारित 60 दिनों का नोटिस जारी किया गया था या नहीं और क्या सुरक्षित संपत्ति पहचान योग्य है। इसने तब नोट किया कि इस तरह की जांच के बाद कार्रवाई करने से पहले प्राधिकरण उस संबंध में खुद को संतुष्ट करने के लिए बाध्य है। साथ ही, यह 2002 के अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी विवाद के निर्णय या मुकदमे में प्रवेश नहीं कर सकता है। संसद ने 2002 के अधिनियम की धारा 14 के तहत एक वरिष्ठ पदाधिकारी में शक्ति का निवेश किया है ताकि सुरक्षित लेनदार के कहने पर मनमाने और कठोर कार्रवाई से बचें। इसके बाद अदालत ने सोलारिस सिस्टम्स प्रा. लि. के मामले में फैसला सुनाया। लिमिटेड और एक अन्य बनाम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और एक अन्य 40, उसी उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का, जिसने पहली बार

अभिनिर्धारित किया कि गैर-महानगरीय क्षेत्रों के लिए सी. जे. एम. 2002 अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन से निपटने के लिए सक्षम था। न्यायालय ने तब संदर्भों के निर्माण के संबंध में Cr.P.C, धारा 3 की धारा 2 (k) में महानगरीय क्षेत्र की परिभाषा पर ध्यान दिया जो संबंधित क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए सीजेएम को सीएमएम के बराबर करता है। उस संबंध में विधायी योजना पर विचार करते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि गैर-महानगरीय क्षेत्रों में सी. जे. एम. और महानगरीय क्षेत्रों में सी. एम. एम. की शक्तियाँ एक ही हैं और केवल अंतर यह है कि

सी. एम. एम. महानगरीय क्षेत्रों में शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके बाद अदालत ने यूनिक ब्यूटाइल टच्यूब इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में इस अदालत के फैसले का विश्लेषण किया। लिमिटेड (ऊपर) और यह अभिनिर्धारित करते हुए कि वर्तमान मामले में, सवाल यह था कि क्या महानगरीय क्षेत्रों में सीएमएम शब्द है

गैर-महानगरीय क्षेत्रों में सी. जे. एम. शामिल होगा। न्यायालय ने कहा कि कानून को उचित तरीके से समझा जाना चाहिए। इसके लिए, इसने होम्स बनाम ब्रैडफील्ड ग्रामीण जिला परिषद 1 1 में और श्री नसीरुद्दीन (ऊपर) में भी उस उक्ति का समर्थन लिया जिसमें इस न्यायालय ने स्वीकार किया था।

38 (2008) 1 एस. सी. सी. 125 (पैराग्राफ No.74) 39 ए. आई. आर. 2007 गुजरात। 201

40 आई. एल. आर. 2006 केर 645 41 1949 (1) सभी ई. आर. 381 (पृष्ठ 384)

द ऑथराइज्ड ऑफ़िसर, इंडियन बैंक v. डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य; और केहर सिंह और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) 50 यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि यदि वैधानिक प्रावधान एक से अधिक व्याख्याओं के लिए खुला है, तो न्यायालय को उसे अपनाएँ जो विधायिका के सच्चे इरादे का प्रतिनिधित्व करता है। हालाँकि, न्यायालय का कार्य केवल विस्तार करना है और कानून बनाना नहीं है। साथ ही, निर्माण की प्रक्रिया शाब्दिक और उद्देश्यपूर्ण दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ती है। अंत में, न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में कोई लापरवाही नहीं है। इसमें, महानगरीय क्षेत्रों में सी. जे. एम. को सी. एम. एम. के रूप में नामित किया जाता है और इसके विपरीत उत्परिवर्तन-अधिकार क्षेत्र के क्षेत्रों द्वारा निहितार्थ और संदर्भ द्वारा दोनों प्राधिकरण को दर्शाने के लिए एक ही आधार पर खड़े होते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि वह कहाँ स्थित है। उस आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला गया कि गैर-महानगरीय क्षेत्रों में, डी. एम. के अलावा, सी. जे. एम. द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने में सुरक्षित लेनदार को सहायता प्रदान करने के लिए भी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है; और

42 (1949) 2 सभी ईआर 155, पी. 164 (सीए) 43 (1961) 2 एससीआर 295

44 (1978) आईएलएलजे 349 एससी 45 1999 क्रिएलजे 2883

47 (2002) 255 आईटीआर 147 (एससी) 48 2007 (2) के. एल. टी. 470 (एस. सी.) (अनुच्छेद Nos.34 और 35) 4 9 (1996) 1 एस. सी. सी. 642

50 (1988) 3 एससीसी 609 [2019] 13 एस. सी. आर.

ऐसा करने पर मजिस्ट्रेट पहचान के लिए एक आयुक्त नियुक्त कर सकता है। सुरक्षित परिसंपत्तियों का अधिग्रहण और उन पर कब्जा करना और यदि कोई प्रतिरोध होता है, तो पुलिस सहायता मांगें और सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए कोई भी प्रभावी कदम उठाएं।

22. हैदराबाद में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ

तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए मेसर्स टी. आर. ज्वैलरी (उपरोक्त) ने भी 2002 के अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषण किया और कहा कि अधिनियम का उद्देश्य बकाया की तेजी से वसूली करना है। न्यायाधिकरणों या न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एन. पी. ए.) के रूप में घोषित और ऐसे बकाया की वसूली के लिए की गई कार्रवाई से उत्पन्न विवादों के त्वरित समाधान के अलावा पूंजीगत तरलता और संसाधनों की बेहतर उपलब्धता के लिए

वृद्धि

अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण के लिए। अधिनियम की धारा 14 के संबंध में, यह उल्लेख किया गया है कि अंतर्निहित उद्देश्य उसमें निर्दिष्ट प्राधिकरण से अनुरोध करके सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा या नियंत्रण लेने के लिए सुरक्षित लेनदार की सहायता करना है। इसके बाद न्यायालय ने Cr.P.C की योजना का विश्लेषण किया और नोट किया कि कार्यकारी शक्तियां होनी चाहिए

प्रत्येक जिले में डीएम के रूप में कार्यकारी मजिस्ट्रेट। इसके बाद न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिन्हें 2002 के अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में विचाराधीन प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला है, कि क्या गैर-महानगरीय क्षेत्रों में सीजेएम, सुरक्षित लेनदार द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने या उससे निपटने के लिए समान रूप से सक्षम है। इसके बाद इसने 2002 के अधिनियम की धारा 35 और 37 को अपनाया और मैथ्यू वर्गीज बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले को नोट किया। एम. अमृता कुमार और अन्य ने यह निष्कर्ष निकाला कि आई. डी. 1 के प्रावधानों का अनुप्रयोग 2002 के अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त होगा और उनका अपमान नहीं होगा और 2002 के अधिनियम से निपटने के दौरान संहिता के प्रावधानों को विचार से बाहर नहीं किया जा सकता है। यह मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ से असहमत था कि 2002 के अधिनियम की धारा 35 आई. डी. 1 के प्रावधानों को ओवरराइड करेगी। अन्य निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद, यह माना गया कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में, सी. जे. एम. अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को कब्जा करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

51 (2014) 5 एस. सी. सी. 610 द अथॉरिटी ऑफ़िसर, भारतीय बैंक बनाम. डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

शपथ-पत्र में किए गए दावे की शुद्धता की जांच करने के बाद ऐसी परिसंपत्तियों की। इस प्रकार, यह किसी भी विवाद के किसी भी निर्णय के बिना केवल एक प्रक्रियात्मक कदम है। इसलिए यह कार्रवाई केवल एक प्रशासनिक आदेश है जो सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए किया जाता है, यदि अन्य सभी शर्तें पूरी की जाती हैं। यह पहले ही नोट किया जा चुका है कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में सी. एम. एम. और डी. एम. द्वारा प्रयोग की गई शक्तियां एक-दूसरे के पर्याय हैं और वे प्रकृति में न्यायनिर्णायक नहीं हैं, इसने सकारात्मक रूप से विचाराधीन प्रश्न का उत्तर दिया। अदालत ने तब नोट किया कि कोई केसस ओमिसस नहीं था और न ही वह कुछ पढ़ रहा था

उस प्रावधान में, जिसका विधानमंडल ने कभी इरादा नहीं किया था और न ही प्रावधान की व्याख्या करने का प्रयास किया था ताकि विधानमंडल के इरादे को विफल किया जा सके। जबकि, न्यायालय केवल उस विधानमंडल के इरादे को प्रभावी बनाने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सहारा ले रहा था जिसके लिए अधिनियम बनाया गया था। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि गैर-महानगरीय क्षेत्रों में सी. जे. एम. द्वारा शक्ति का प्रयोग

जो क्षेत्र महानगरीय क्षेत्रों में सी. एम. एम. के समान शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वे 2002 के अधिनियम की धारा 14 में वर्णित व्यवस्था को किसी भी तरह से निरस्त या विरोधाभासी नहीं करेंगे। मोरेसो, यह किसी भी पक्ष के लिए पूर्वाग्रह का एक छोटा सा कारण भी नहीं होगा। जबकि, यह न्यायिक दिमाग (सीजेएम) के तत्वावधान में एक न्यायपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।

सुरक्षित लेनदारों को उनकी परिसंपत्तियों के कब्जे की वसूली करने के लिए सहायता, जिससे उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके जिसके लिए 2002 का अधिनियम लागू किया गया है।

23. इसी तरह, बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कावेरी विपणन (ऊपर) में राय दी कि सीएमएम अभिव्यक्ति को इस रूप में माना जाना चाहिए

गैर-महानगरीय क्षेत्रों के लिए सी. जे. एम. सहित, क्योंकि सी. जे. एम. और सी. एम. एम. की शक्तियाँ समान हैं। इस प्रकार, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह भी राय दी कि गैर-महानगरीय क्षेत्रों में सी. जे. एम. 2002 अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन पर विचार करने और उससे निपटने में सक्षम होगा। 24. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अभिषेक मिश्रा (उपरोक्त) मामले में भी ऐसा ही विचार रखा है। यह माना जाता है कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 एक प्रक्रियात्मक उपाय है जो सुरक्षित लेनदार को उसमें निर्दिष्ट प्राधिकरण को आवेदन करके सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने में सक्षम बनाता है। यहां तक कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संबंधित प्राधिकारी को कार्यकारी और न्यायिक शक्ति प्रदान करने वाले Cr.P.C में प्रावधानों की योजना का समर्थन किया। इसके अलावा, यह संदर्भ दिया

वही निर्णय जो केरल उच्च न्यायालय ने मुहम्मद अशरफ (ऊपर) में देखे और निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला:

" 34. क़ानून की व्याख्या के उपरोक्त अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, इस मुद्दे का उत्तर 'प्रमुख [2019] 13 एस. सी. आर.' नाम है।

विधानमंडल द्वारा उपयोग की जाने वाली 'मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट' अधिनियम की धारा 14 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामिल हैं जो गैर-न्यायिक क्षेत्रों में काम करते हैं।

महानगरीय क्षेत्र और एक मनोरंजन करने के लिए अधिकार क्षेत्र होगा

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत किया गया आवेदन। हमारी सुविचारित राय में, कोई आकस्मिक चूक नहीं है। हमारे द्वारा दी गई व्याख्या प्रावधान में कुछ भी पढ़ने के बराबर नहीं है, जिसका विधायिका ने कभी इरादा नहीं किया था, और न ही हमारे द्वारा दी गई व्याख्या, किसी भी तरह से, प्रावधान के इरादे को विफल करती है।

एनपीए के रूप में। इसके विपरीत, 'चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट' शब्द की व्याख्या में शाब्दिक निर्माण के सिद्धांतों को अपनाने से न केवल विधान के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर दिया जाएगा, बल्कि स्पष्ट रूप से विसंगत परिणाम सामने आएंगे जो विधायिका द्वारा अभिप्रेत नहीं हो सकता था। ल्यूक बनाम आई. आर. सी., 1966 ए. सी. 557 के मामले में लॉर्ड रीड के अनुसार, जहां शब्दों को लागू करने के लिए सचमुच कानून के स्पष्ट इरादे को विफल कर देगा और पूरी तरह से अनुचित परिणाम उत्पन्न करेगा, हमें कुछ हिंसा करनी चाहिए। शब्दों के लिए और इसलिए उस स्पष्ट इरादे को प्राप्त करें और एक तर्कसंगत निर्माण का उत्पादन करें।

35. हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को टी. आर. ज्वैलरी एंड ज्वेलरी के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले से समर्थन मिलता है।

ओआरएस। बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य। (ऊपर) और मुहम्मद अशरफ, सी. के मामले में केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ।

आरिफा बनाम भारत संघ, हम इसके विपरीत सहमत होने में असमर्थ हैं।

इंडसइंड बैंक लिमिटेड के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण। बनाम के. अरोकियाराज बनाम में महाराष्ट्र राज्य और मद्रास उच्च न्यायालय। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीविल्लिपुथुर और अन्र। , मनु/टी. एन./1796/2013: 2013 (4) एल. डब्ल्यू. 485. के. अरोकियाराज (ऊपर) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ थी यह विचार कि अधिनियम, 2002 की धारा 14 में उपयोग किए गए वाक्यांश को अधिनियम, 2002 की धारा 35 को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता से कोई सहायता लिए बिना इसका सही अर्थ दिया जाना चाहिए, जिसमें यह प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधान अन्य सभी कानूनों पर हावी होंगे जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता शामिल है। यह भी माना गया कि जब सरफेसी अधिनियम एक पूर्ण संहिता है, तो

Cr.P.C की धारा 3 का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है।

द ऑथराइज्ड ऑफ़िसर, इंडियन बैंक v. डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

36. विद्वान न्यायाधीशों के संबंध में, हम अपने विचार से सहमत होने के लिए खुद को राजी करने में असमर्थ रहे हैं। पूर्ण पीठ अधिनियम, 2002 की धारा 37 का संज्ञान लेने में विफल रही, जिसमें प्रावधान है कि अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं है। उक्त खंड में लिखा है -

जैसा कि नीचे।

" 37. अन्य कानूनों का प्रयोग वर्जित नहीं है। - इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15), बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 (1993 का 51) या इसके लिए किसी अन्य कानून के अतिरिक्त होंगे और इसका अपमान नहीं करेंगे।

समय बल में है "।

37. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि धारा 37 में उपयोग किए गए शब्द "कुछ समय के लिए लागू कोई अन्य कानून" में संविधान की संहिता भी शामिल होगी। दंड प्रक्रिया अपने दायरे में और के प्रावधानों का अनुप्रयोग

Cr.P.C. अधिनियम, 2002 के प्रावधानों से निपटने के दौरान विचार से बाहर नहीं किया जा सकता है। इसलिए, मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लिया गया विचार कि अधिनियम, 2002 की धारा 35 को देखते हुए, उक्त अधिनियम के प्रावधान Cr.P.C के प्रावधानों और 'मुख्य' शब्दों को ओवरराइड करेंगे।

धारा 14 में प्रयुक्त 'मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट' को कोई सहायता या सहायता लिए बिना शाब्दिक व्याख्या दी जानी चाहिए।

38. उपरोक्त तथ्यों और चर्चाओं को मजबूत करते हुए, हम

माना जाता है कि नामकरण 'मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट'

अधिनियम, 2002 की धारा 14 में उपयोग किया गया 'मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट' एक गैर-महानगरीय क्षेत्र में कार्य कर रहा है और एक सुरक्षित लेनदार द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत।

25. अब हम इस दृष्टिकोण से अन्य निर्णयों की ओर रुख करेंगे कि गैर-महानगरीय क्षेत्र में केवल डीएम ही इससे निपटने में सक्षम है।

2002 की धारा 14 के तहत सुरक्षित लेनदार द्वारा दायर आवेदन

एक्ट करें। इंडसइंड में बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ बैंक लिमिटेड (उपरोक्त) ने 2002 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को स्वीकार करने के बाद कहा कि सुरक्षित लेनदार को सुरक्षित [2019] 13 एस. सी. आर. के संबंध में वसूली के प्रवर्तन के उद्देश्य से कदम उठाने का हकदार होने से पहले किसी सक्षम न्यायालय/डी. आर. टी. से डिक्री प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

संपत्ति। इस विशिष्ट मुद्दे से निपटने के दौरान कि क्या सीजेएम सुरक्षित लेनदार द्वारा दायर आवेदन से निपटने के लिए सक्षम है 2002 के अधिनियम की धारा 14 में न्यायालय ने 2002 के अधिनियम की धारा 14 के सादे पाठ के अनुसार यह अभिनिर्धारित किया कि सीजेएम ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं था; और

कि 2002 के अधिनियम के अनुसार, केवल महानगर क्षेत्रों में सी. एम. एम. और गैर-महानगर क्षेत्रों में डी. एम. ही सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने में सुरक्षित लेनदार की सहायता करने में सक्षम है। इसने नोट किया कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 में सी. जे. एम. अभिव्यक्ति का संदर्भ स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है और इसलिए, विधायिका का इरादा गैर-महानगरीय क्षेत्र में सी. जे. एम. को कथित कार्य सौंपने का नहीं था, हालांकि यह महानगर क्षेत्र में एक न्यायिक अधिकारी सी. एम. एम. को सौंपा गया है। फिर भी, अर्जुन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (ऊपर) में, बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ ने ट्रेड वेल और एक अन्य बनाम इंडियन बैंक और एक अन्य 3 2, ट्रांसकोर (ऊपर) और यूनिक ब्यूटाइल टच्यूब इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में उक्ति को स्वीकार करने के बाद इंडसइंड बैंक लिमिटेड (ऊपर) में स्पष्टीकरण को दोहराया। लिमिटेड (ऊपर)। इसने मुहम्मद अशरफ (ऊपर) में केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर ध्यान दिया और केवल इस हद तक सहमत हुआ कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 में कोई लापरवाही नहीं थी-क्योंकि यह दो अलग-अलग प्राधिकरणों को संदर्भित करता है। हालाँकि, यह उसमें लिए गए इस विचार से असहमत था कि सीजेएम भी ऐसे आवेदनों से निपटने के लिए सक्षम है; क्योंकि, इसके विचार में, जब 2002 के अधिनियम की धारा 14 का शाब्दिक निर्माण स्पष्ट था, तो किसी भी पूरक की आवश्यकता नहीं थी।

शब्द (ओं) वहाँ। क्योंकि, 2002 की धारा 14 की व्याख्या, जैसा कि यह है, किसी भी बेतुके परिणाम की ओर नहीं ले जाती है। इसने ध्यान दिया कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 में निर्दिष्ट प्राधिकरण के पास निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है

पक्षों के किसी भी अधिकार पर लेकिन केवल सुरक्षित को सहायता प्रदान कर सकते हैं

अधिकार की वसूली के लिए लेनदार। इसने राय दी कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 में सी. जे. एम. शब्दों को जोड़ने से विधायिका को कुछ भी नहीं रोक सका। इसके बाद इसने सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड (ऊपर) और हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंको यूरोप लिमिटेड (ऊपर) में लॉर्ड डेनिंग के कथन का विज्ञापन किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक न्यायालय उपयुक्त मामलों में अपनी व्याख्यात्मक प्रक्रिया में शब्द जोड़ सकता है, यदि मसौदा तैयार करने में चूक या लापरवाही को कानून के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए देखा जाता है, लेकिन अन्यथा नहीं। इसने माना कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 का मसौदा तैयार करने में कोई लापरवाही नहीं थी, जब उसने दो अलग-अलग प्राधिकरणों, सीएमएम और डीएम का उल्लेख किया था। इस प्रकार, बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने प्रावधान की शाब्दिक व्याख्या का मार्ग अपनाया।

52 (2007) क्राई।

एल. जे. 2544 द अथॉरिटी ऑफ़िसर, इंडियन बैंक बनाम. डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

26. अगला फैसला नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का है।

दीपक अग्रवाल (ऊपर) में, जिसने इंडसइंड बैंक लिमिटेड (ऊपर) में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को अपनाया और यह निष्कर्ष निकाला कि केवल महानगर क्षेत्रों में सीएमएम और गैर-महानगर क्षेत्रों में डीएम ही 2002 के अधिनियम की धारा 14 के तहत सुरक्षित लेनदार द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम होंगे।

सुरक्षित परिसंपत्तियाँ।

27. दिनेश कुमार में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश

अग्रवाल (ऊपर) ने विचाराधीन प्रश्न से निपटने के दौरान रोनित निर्माण प्राइवेट में अपने पिछले निर्णय पर भरोसा किया। लि. बनाम राज्य

बैंक ऑफ इंडिया और अन्य 53, जिसमें उन्होंने इंडसइंड बैंक लिमिटेड (ऊपर) में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए सिद्धांत से सहमति व्यक्त की थी। न्यायालय ने राय दी कि एक बार सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किसी प्राधिकरण का नाम लिए जाने के बाद, न्यायालय किसी अन्य प्राधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकता है, जिसे ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए वैधानिक प्रावधान में नामित नहीं किया गया है। यह विधायी कार्य को हड़पने के बराबर होगा। इस प्रकार, यह केरल उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से असहमत था, जिसने इसके विपरीत अभिनिर्धारित किया था कि सीजेएम 2002 की धारा 14 के तहत सुरक्षित लेनदार द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने के लिए समान रूप से सक्षम है। एक्ट करें। एकल न्यायाधीश का यह निर्णय आंध्र बैंक (उपरोक्त) में खंड पीठ के समक्ष अपील में लिया गया था, जिसने बदले में एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए इस विचार को बरकरार रखा कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 के तहत सुरक्षित लेनदार द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने के लिए केवल महानगरीय क्षेत्रों में सीएमएम और गैर-महानगरीय क्षेत्रों में डीएम सक्षम हैं। डिवीजन बेंच केरल उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर लिए गए विचार से असहमत थी कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 की भाषा स्पष्ट थी और गैर-महानगरीय क्षेत्रों में सी. जे. एम. को सशक्त बनाने के लिए निर्माण की आवश्यकता नहीं थी।

28. के. अरोकियाराज में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ

(ऊपर) मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड (ऊपर), के. आर. चंद्रशेखरन बनाम भारत संघ में प्रदर्शनी के लिए विज्ञापित, जिसने विचार किया था

विचाराधीन अधिनियमन के उद्देश्य। इसने नोट किया कि 2002 का अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है और पैराग्राफ संख्या में देखे गए प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करने के बाद है। 15 और इसके निर्णय का 16 निम्नानुसार है:

" 15. धारा 13 (2), 13 (4), 14 (1) और 14 (2) के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है

कि सुरक्षित लेनदार सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है,

53 2011 का ए. एस. टी. 1337 (दिनांक 18 अक्टूबर, 2011) 54 2012 (2) सी. डब्ल्यू. सी. 115 [2019] 13 एस. सी. आर.

यदि उधारकर्ता प्रतिभूत ऋणों या उनकी किसी किस्त के पुनर्भुगतान में कोई चूक करता है। अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत पारित आदेश के खिलाफ व्यथित किसी भी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 17 के तहत अपील करने का अधिकार दिया जाता है। पक्षकारों के अधिकारों का निर्णय तभी होगा जब सुरक्षित लेनदार की कार्रवाई धारा 17 के तहत दायर एक अपील में चुनौती दी गई। अपीलीय न्यायाधिकरण (डी. आर. ए. टी.) को एक और अपील भी धारा के तहत प्रदान की गई है।

18 अधिनियम से।

16. 2013 के संशोधन अधिनियम संख्या 1 के माध्यम से अंत:स्थापित धारा 14, जिला मजिस्ट्रेट/मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी अधिकारी को सहायता करने की शक्ति सौंपने पर विचार करती है। उनके अधीनस्थ, सहायता की शक्ति को एक कार्यकारी कार्य के रूप में मानने के लिए संसद के इरादे को बढ़ाता है न कि एक न्यायिक कार्य के रूप में। यदि शक्ति एक न्यायिक कार्य है, प्रकृति में न्यायनिर्णायक है, तो किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को ऐसा प्रत्यायोजन नहीं हो सकता है। यह कानून में अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नहीं कर सकता है

अपनी शक्ति को प्रत्यायोजित करें क्योंकि यह प्रतिनिधि के सिद्धांत के विपरीत होगी।

सबसे अच्छा व्यंजन नहीं है "।

14 पर के अधिकारों का न्यायनिर्णयन करने की अपेक्षा नहीं हैपार्टियों का आयोजन किया। इसके बाद इसने 2002 के अधिनियम की धारा 34 और 35 को नोट किया और

निम्नलिखित के रूप में निरीक्षण करने के लिए:

" 20. उपरोक्त धारा 35 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि

सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का प्रभाव होगा

उस समय लागू किसी अन्य कानून में इसके साथ कुछ भी असंगत होने के बावजूद। इस प्रकार, सरफेसी अधिनियम सी. आर. एल. के प्रावधानों सहित अन्य कानूनों को ओवरराइड करेगा। पी. सी. अधिनियम की धारा 36 सीमा से संबंधित है। सीमा का सवाल धारा 13 (4) के तहत आदेश पारित करने के बाद उठाया जा सकता है, अगर वित्तीय संपत्ति के संबंध में दावा निम्नलिखित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है।

सीमा अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा। इस प्रकार,

सीमा अधिनियम, 1963 को धारा 36 के तहत लागू करने की अनुमति है, हालांकि, धारा 35 के अनुसार, सी. आर. एल. का आवेदन। पीसी नहीं है

अनुमति दी "। द ऑथराइज्ड ऑफ़िसर, इंडियन बैंक v. डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इस पृष्ठभूमि में पूर्ण पीठ ने इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम मामले में उसी उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले की जांच की।

श्री अरविंद स्टील्स लिमिटेड 55 जो सी. जे. एम., सी. एम. एम. और अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता से संबंधित Cr.P.C की धारा 3,5 और 8 पर निर्भर था। इसके बाद इसने Cr.P.C की धारा 20 पर ध्यान दिया।

कार्यकारी मजिस्ट्रेटों और उनके स्थानीय क्षेत्राधिकारों से संबंधित

उसमें निर्दिष्ट किया गया है। इन प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद, इसने इस प्रकार अवलोकन किया:

" 25. दंड प्रक्रिया संहिता के उपरोक्त निर्दिष्ट प्रावधानों के अवलोकन पर, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट के साथ अलग से व्यवहार किया जाता है और केवल सुविधा के उद्देश्य से, उच्च न्यायालय को महानगर क्षेत्रों में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के समान कार्य करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का अधिकार है, जिसमें न्यायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य शामिल हैं। जब सीआरएल। पी. सी. स्वयं जिला मजिस्ट्रेटों और उनके अधिकार क्षेत्र के साथ काम कर रहा है, धारा 14 (1) में उपयोग किए गए वाक्यांश को दंड प्रक्रिया संहिता से किसी भी सहायता के बिना इसका सही अर्थ दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से धारा 35 के प्रकाश में जिसे धारा 2 (2) के साथ पढ़ा जाता है।

सरफेसी अधिनियम, 2002।

26. अधिनियम की धारा 14 बहुत स्पष्ट और स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने में सुरक्षित लेनदारों की सहायता कर सकते हैं। इसका मतलब है कि महानगर क्षेत्रों में, सुरक्षित लेनदार मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं और गैर-महानगर क्षेत्रों में, जहां कोई मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नहीं है, सुरक्षित लेनदार अकेले जिला मजिस्ट्रेट की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि गैर-महानगर क्षेत्रों में सुरक्षित लेनदारों को सहायता देने की कोई शक्ति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास निहित नहीं है। कथित खंड में कोई चूक नहीं है जैसा कि उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा तर्क दिया गया है। यदि गैर-महानगर क्षेत्रों में सुरक्षित लेनदार की सहायता के लिए कोई प्राधिकरण का उल्लेख नहीं है, तो सुरक्षित लेनदारों को यह तर्क देने में उचित ठहराया जा सकता है कि चूक के मामले में, सीआरएल में दिया गया अर्थ। सरफेसी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पी. सी. का आयात किया जा सकता है। कथित स्थिति नहीं होने के कारण, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील नहीं है

55 2009 (1) सीटीसी 341 [2019] 13 एस. सी. आर.

यह तर्क देना उचित है कि जहां भी कोई मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को स्वतः ही मिल जाएगा।

सुरक्षित लेनदारों की सहायता करने की शक्तियाँ। यदि ऐसी व्याख्या स्वीकार की जाती है, तो धारा 14 में प्रयुक्त वाक्यांश यह है कि

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट का कोई मतलब नहीं होगा।

29. उपरोक्त दृष्टिकोण को पुष्ट करने के लिए, पूर्ण पीठ ने इंडसइंड बैंक लिमिटेड (ऊपर), अर्जुन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (ऊपर) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसलों से सहमति व्यक्त की। यह कलकत्ता के उच्च न्यायालय के निर्णय पर भी निर्भर था, जिसने पूर्ण पीठ के समान दृष्टिकोण अपनाया। पूर्ण पीठ ने तब आधिकारिक परिसमापक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस न्यायालय के फैसलों को नोट किया

बनाम इलाहाबाद बैंक और अन्य, श्री नसीरुद्दीन (ऊपर), भूदान सिंह और एक अन्य (ऊपर), के. पी. वर्गीज (ऊपर), आत्मा राम मित्तल (ऊपर), भारतीय प्रशासनिक सेवा (एस. सी. एस.) एसोसिएशन, यू. पी. और अन्य बनाम भारत संघ ", नसीरुद्दीन और अन्य बनाम सीता राम

अग्रवाल, गुजरात उच्च न्यायालय और एक अन्य बनाम गुजरात किशन मजदूर पंचायत और अन्य, प्रकाश कुमार उर्फ प्रकाश भुट्टो बनाम गुजरात राज्य और न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी।

लि. बनाम नुस्ली नेविल वाडिया और एक अन्य और सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड (ऊपर) में भी उक्ति का निष्कर्ष इस प्रकार है:

" 35. उपरोक्त निर्णयों के साथ-साथ सरफेसी की धारा 14 में निहित वैधानिक प्रावधानों के अवलोकन से

अधिनियम, 2002, अपने स्वतंत्र अस्तित्व में, हमारा दृढ़ विचार है कि धारा 14 सुरक्षित लेनदारों को अपनी संपत्तियों को सुरक्षित करने में सहायता के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों से संपर्क करने पर विचार नहीं करती है और सुरक्षित लेनदार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं।

महानगर क्षेत्रों में और गैर-महानगर क्षेत्रों में महानगर मजिस्ट्रेट

महानगर क्षेत्रों में, सुरक्षित लेनदारों को जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क करना पड़ता है, न कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से।

पूर्ण पीठ के फैसले के बाद टी. सी. रामदास (उपरोक्त) मामले में उसी उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने फैसला सुनाया है। इस निर्णय में,

56 (2013) 4 एस. सी. सी. 381

57 (1993) सप. 1 एस. सी. सी. 730

59 (2003) 4 एस. सी. सी. 712 60 (2005) 2 एस. सी. सी. 409

61 (2008) 3 एस. सी. सी. 279 द अथॉरिटी ऑफ़िसर, भारतीय बैंक बनाम। डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]टी, अतिरिक्त रूप से, संभावित के संबंध में प्रस्तुतिकरण पर विचार किया गया

रूलिंग और निम्नलिखित रूप में निरीक्षण करने के लिए चला गया:

" 15. संभावित अतिनिर्णय के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी

रेलवे कंपनी बनाम सनबर्स्ट ऑयल एंड रिफाइनिंग कंपनी 287 यू. एस. 358 (1932) उक्त सिद्धांत पहली बार गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य एम. ए. एन. यू./एस. सी./0029/1967 में लागू किया गया था: भारत में ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1643 और उसके बाद विभिन्न निर्णयों में संदर्भित और निर्भर किया गया, और इस तरह, संभावित ओवररुलिंग का सिद्धांत अब एक अभिन्न अंग है। भारतीय कानूनी प्रणाली का हिस्सा। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि ओवररुलिंग निर्णय एक नया निर्णय है, क्योंकि इसने तय किए गए उदाहरण को खारिज कर दिया है और इसने पहली छाप के मुद्दे का फैसला किया है, जहां

कम से कम पहले के एक मामले ने ओवररुलिंग का पूर्वाभास नहीं दिया है निर्णय लें। हाथ में मामले में, के. अरोकियाराज मनु/टीएन/1796/2013 में पूर्ण पीठ: 2013 (6) एमएलजे 641: 2013 (4) एल. डब्ल्यू. 485 (ऊपर) ने कानून की स्थिर स्थिति को अस्थिर नहीं किया है। द सेटल्ड

संभावित रूप से स्वीकृति के योग्य नहीं है और यह तदनुसार है अस्वीकार कर दिया। प्रासंगिक प्रावधान की भाषा स्पष्ट और स्पष्ट है जो किसी भी भ्रम को स्वीकार नहीं करती है, जिसकी व्याख्या पूर्ण द्वारा की गई है

अपने फैसले में बेंच। 16. यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि अधिकार क्षेत्र के बिना किसी प्राधिकरण द्वारा पारित कोई भी आदेश अमान्य और गैर-प्रभावी है और इस तरह, उक्त आदेश के आधार पर की गई कोई भी परिणामी कार्रवाई निम्नानुसार है:

जमीन। (ए. पी. बनाम एल. वी. ए. दीक्षितुलु एम. ए. एन. यू./एस. सी./0416/1978 के मुख्य न्यायाधीश देखें। (1979) 2 एस. सी. सी. 34, ए. जितेंद्रनाथ बनाम जुबली हिल्स कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी एम. ए. एन. यू./एस. सी./8138/2006: (2006) 10 एस. सी. सी. 96, अशोक लेलैंड लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य एम. ए. एन. यू./एस. सी./0020/2004: (2004) 3 एस. सी. सी. 1, भारत संघ बनाम

प्रमोद गुप्ता मनु/एससी/0549/2005: (2005) 12 एस. सी. सी. 1, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनाम नीरज कुमार सिंह एम. ए. एन. यू./एससी./0687 /

2007 : (2007) 2 एस. सी. सी. 481, हाशम अब्बास सैयद बनाम उस्मान अब्बास सैयद मनु/एससी/5541/2006: (2007) 2 एससीसी 355, दीपक एग्रो फूड्स बनाम राजस्थान राज्य एम. ए. एन. यू./एस. सी./7812/2008: (2008)

7 एस. सी. सी. 748, चंद्रभाई के. भोइर बनाम कृष्ण अर्जुन भोइर

मनु/एससी/8230/2008: (2009) 2 एस. सी. सी. 325 और भारत संघ बनाम 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संघ

मनु/एससी/1252/2011: (2011) 10 एस. सी. सी. 543

17. परिणामस्वरूप, हम दिनांकित 23.07.2012 के आक्षेपित आदेश को अलग कर देते हैं।

सी. जे. एम. द्वारा पारित, प्रत्यर्थी बैंक को उचित क्षेत्राधिकार मंच का सहारा लेने की स्वतंत्रता सुरक्षित

कानून के प्रावधान "।

30. श्याम सुंदर रोहरा (ऊपर) मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने के. अरोकियाराज (ऊपर) मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए विचार को अपनाया और निष्कर्ष निकाला कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 सुरक्षित लेनदारों को अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए सहायता के लिए सीजेएम से संपर्क करने की अनुमति नहीं देती है, लेकिन उन्हें केवल महानगर क्षेत्र में सीएमएम और गैर-महानगर क्षेत्र में डीएम से संपर्क करना चाहिए। 31. 2002 के अधिनियम की धारा 14 की शाब्दिक व्याख्या को देखते हुए, यह प्रतीत होता है कि सीएमएम या डीएम जिनके अधिकार क्षेत्र में

सुरक्षित परिसंपत्ति में स्थित है, ऐसी सुरक्षित परिसंपत्ति के कब्जे के लिए सुरक्षित लेनदार के अनुरोध पर विचार करने का अधिकार दिया जाता है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि नामित प्राधिकारी, व्यक्ति पदनाम के समक्ष उपचार प्रदान किया जाता है। यह उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण है

बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। जिसमे

उसी समय, केरल, कर्नाटक, इलाहाबाद और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों ने एक उदार दृष्टिकोण अपनाया है और गैर-महानगरीय क्षेत्रों के लिए सीजेएम को शामिल करने के लिए उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का आह्वान करने और "सीएमएम" अभिव्यक्ति को विस्तृत अर्थ देने के लिए राजी किया गया है। यह संबंधित प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली जांच की प्रकृति के संदर्भ में किया गया है। 32. निर्विवाद रूप से, 2002 के अधिनियम में "सीएमएम" और "डीएम" शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है। इस प्रकार उस परिभाषा का पता Cr.P.C के प्रावधानों से लगाया जा सकता है। अब तक यह भी अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि 2002 का अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है। 2002 के अधिनियम के तहत नामित अधिकारियों द्वारा की जाने वाली जांच की प्रकृति को 2002 के अधिनियम की धारा 14 में स्पष्ट किया गया है। यह सीमित है और 2002 के अधिनियम की धारा 14 की उप धारा (1) में पहले परंतुक के खंड (i) से (ix) में निर्दिष्ट मामलों तक सीमित है, जिसे 2013 में जोड़ा गया था। उस परंतुक को शामिल करने से पहले, यह हमेशा समझा जाता था कि इस तरह की जांच में, यह किसी भी तरह से पक्षों

के अधिकारों के संबंध में विवादास्पद याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए खुला नहीं है। कथित अधिकारी केवल सत्यापन कर सकते थे

याचिका की वास्तविकता और यह संतुष्ट होने पर कि यह वास्तविक है, प्राधिकरण अधिकारी, भारतीय बैंक v.

इसके निर्णय को तब सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय पर छोड़ दिया जा सकता है।

33. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि 2002 अधिनियम की धारा 14 के तहत कथित प्राधिकारी द्वारा की गई जांच एक सुई जेनरिस जांच है। इसमें, मुख्य रूप से यह शपथ पत्र के सत्यापन और पक्षों द्वारा दायर दस्तावेजों पर भरोसा करने के संबंध में एक प्रशासनिक या कार्यकारी कार्य है। उस जांच को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने की आवश्यकता है। इस तरह की जांच करते समय, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा गया है, प्राधिकरण को पक्षों द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक तथ्यात्मक स्थिति पर विचार करने में विवेकपूर्ण दृष्टिकोण प्रदर्शित करना चाहिए। वह पूर्व-मान लेता है कि हालाँकि यह एक अर्ध-न्यायिक जाँच है, एक गैर-न्यायिक प्रक्रिया है। जाँच के परिणामस्वरूप विषय संपत्ति के संबंध में पक्षों के अंतर अधिकारों का निर्णय नहीं होता है या इस तथ्य का कि लेन-देन धोखाधड़ी वाला या अन्यथा है।

34. विशेष रूप से, सीएमएम और सीजेएम की शक्तियां और कार्य Cr.P.C में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में समान और समान हैं। ये अभिव्यक्तियाँ (सीएमएम और सीजेएम) विनिमेय हैं और

एक-दूसरे के पर्यायवाची। इसके अलावा, 2002 के अधिनियम की धारा 14 ऐसा करती है

सीजेएम को उसके तहत किए गए सुरक्षित लेनदार के अनुरोध से निपटने से स्पष्ट रूप से बाहर नहीं किया गया है। 2002 के अधिनियम की धारा 14 के तहत संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति, अपनी प्रकृति से, गैर-न्यायिक या राज्य की बलपूर्वक शक्ति है। इसके अलावा, उधारकर्ता या उधारकर्ता के माध्यम से या उस मामले के लिए दावा करने वाले व्यक्ति प्रभावित होने की संभावना है। प्रस्तावित कार्रवाई के विषय संपत्ति के कब्जे में होने के कारण, 2002 के अधिनियम की धारा 17 के तहत वैधानिक उपचार और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा हो। इस मायने में, उधारकर्ता/पट्टेदार के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा होने की संभावना नहीं है और न ही यह सुझाव देना संभव है कि वे कानून में उपचारहीन हैं। साथ ही, 2002 के अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रक्रिया का आह्वान करने वाले सुरक्षित लेनदार को कोई लाभ नहीं मिलता है। इन सभी पहलुओं को समग्रता से लेते हुए, "सी. एम. एम". शब्द को व्यापक अर्थ देने में कुछ भी गलत नहीं है, जिसमें गैर-महानगरीय क्षेत्र से संबंधित सी. जे. एम. शामिल है, जो अन्यथा सी. एम. एम. के समान शब्दों पर Cr.P.C में वर्णित प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम है। यह व्याख्या प्रावधान को और अधिक सार्थक बनाएगी। इस तरह की व्याख्या विधायी इरादे के खिलाफ नहीं है और न ही यह किसी अयोग्य व्यक्ति या प्राधिकरण को जांच करने की अनुमति देने का मामला होगा जो 2002 के अधिनियम की धारा 14 में निर्दिष्ट मामलों तक सीमित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

35. केरल उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह का दृष्टिकोण 2006 में ही लिया गया है और इसी तर्ज पर अन्य उच्च न्यायालयों (कर्नाटक, इलाहाबाद और आंध्र प्रदेश) के निर्णय भी हैं। यह ध्यान दिया जाए कि केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी

2009 के एस. एल. पी. (सी) No.1671 में इस न्यायालय के समक्ष असफल, जिसे 2 फरवरी, 2009 को खारिज कर दिया गया।

36. अब हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड में निर्णय की ओर रुख कर सकते हैं।

अधिनियम और राय है कि 2002 अधिनियम की धारा 14 सुरक्षित लेनदार को सक्षम बनाती है जो सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा प्राप्त करने के लिए "राज्य की जबरदस्त शक्ति" की सहायता लेना चाहता है, वह उसमें नामित प्राधिकरण को लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में सुरक्षित संपत्ति स्थित है। इसने यह भी नोट किया कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 के तहत इस तरह का अनुरोध प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण से इस मामले की आगे कोई जांच करने की उम्मीद नहीं थी, सिवाय इसके कि वह सुरक्षित लेनदार से सत्यापित करे कि क्या अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नोटिस पहले ही दिया जा चुका है या नहीं और क्या सुरक्षित संपत्ति उसके अधिकार क्षेत्र में स्थित है। इस स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं है। न्यायालय ने रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 23 में यह भी देखा कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 के संशोधन के बाद, उसमें पहला परंतुक जोड़कर, नामित प्राधिकारी को केवल उल्लिखित मामलों के संबंध में खुद को संतुष्ट करना होगा। खंड (i) से खंड (ix) में। इस निर्णय के पैराग्राफ 25 में, न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया:

सुरक्षित का कब्जा लेने के संबंध में उचित आदेश संपत्ति "।

इसके बाद न्यायालय ने रिपोर्ट किए गए फैसले के पैराग्राफ Nos.33 और 36 में निम्नानुसार अवलोकन किया:

द ऑथराइज्ड ऑफ़िसर, इंडियन बैंक v. डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" 33. हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज करने में स्पष्ट रूप से गलती की है। नियम 8 की भाषा इस तरह के निर्माण की मांग नहीं करती है। दूसरी ओर, एक मजिस्ट्रेट जिसका कार्य दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा संरचित है, को उक्त संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता होती है, जब तक कि किसी अन्य कानून द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा निर्धारित न किया जाए। यह ऐसा मामला नहीं है कि मजिस्ट्रेट द्वारा उस मामले में प्रक्रिया का पालन करने के लिए कभी भी निर्धारित नहीं किया गया है जहां मजिस्ट्रेट को संपत्ति का कब्जा लेने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, संहिता की धारा 83 के तहत, एक आपराधिक अदालत को एक घोषित अपराधी की चल या अचल संपत्ति या दोनों को कुर्क करने के लिए अधिकृत किया जाता है। धारा 83 की उप-धारा (3) और (4) में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि एक बार आपराधिक न्यायालय द्वारा उप-धारा (1) के तहत कुर्की का आदेश दिए जाने के बाद, जो संपत्ति ऐसी कुर्की का विषय है, उसे या तो जब्त कर लिया जाएगा या इस तथ्य के आधार पर कब्जा कर लिया जाएगा कि संपत्ति चल है या अचल। दोनों उप-अनुभाग प्राप्तकर्ता की नियुक्ति पर विचार करते हैं। यह उप-धारा (6) के तहत घोषित किया गया है कि इसके तहत नियुक्त प्राप्तकर्ता की शक्तियां, कर्तव्य और देनदारियां धारा 83 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत नियुक्त प्राप्तकर्ता के समान है।

XXX

XXX

XXX

36. इस प्रकार, सुरक्षित लेनदार के लिए सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के लिए तीन तरीके होंगे: 36.1 . (i) पहला तरीका यह होगा कि सुरक्षित लेनदार नियम 8 (1) के तहत आवश्यक सूचना देता है और जहां उसे किसी भी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। उस मामले में, अधिकृत अधिकारी नियम 8 (2) के तहत निर्धारित कदम उठाने के लिए आगे बढ़ेगा ताकि कब्जा किया जा सके और उसके बाद सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सुरक्षित लेनदार द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान किया जा सके।

नियम 8 (1) दिया गया है। उस स्थिति में वह अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रदान किए गए तंत्र का सहारा लेगा। मजिस्ट्रेट को आवेदन करना। मजिस्ट्रेट इसकी जांच करेंगे धारा 14 में प्रावधान के अनुसार आवेदन, और फिर यदि संतुष्ट हो, तो धारा 14 (1-ए) के तहत प्रदान किए गए उसके अधीनस्थ अधिकारी को नियुक्त करें।

परिसंपत्तियों और दस्तावेजों का कब्जा लेना। उस उद्देश्य के लिए मजिस्ट्रेट संबंधित अधिकारी को आवश्यक बल का उपयोग करने के लिए अधिकृत कर सकता है। कब्जा लेने के बाद

परिसंपत्तियों और दस्तावेजों को सुरक्षित लेनदार को भेज दिया जाएगा।

36.3 . (iii) तीसरी स्थिति वह होगी जहां सुरक्षित लेनदार धारा 14 के तहत सीधे संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क करता है। अधिनियम से। इसके बाद मजिस्ट्रेट धारा 14 में दिए गए आवेदन की जांच करेगा, और फिर यदि संतुष्ट हो जाता है, तो एक अधीनस्थ अधिकारी को परिसंपत्तियों और दस्तावेजों का कब्जा लेने और उन्हें खंड 36.2 के तहत सुरक्षित लेनदार को भेजने के लिए अधिकृत करेगा। ((ख) ऊपर।

36.4 . उपरोक्त तीन स्थितियों में से किसी में भी, सुरक्षित लेनदार को कब्जा सौंपने के बाद, सुरक्षित परिसंपत्तियों के संरक्षण, मूल्यांकन और बिक्री से संबंधित नियम 8 के बाद के निर्दिष्ट प्रावधान और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अन्य बाद के नियम लागू होंगे।

37. मान लीजिए, न्यायालय को उन विशिष्ट मुद्दों पर विचार करने के लिए नहीं कहा गया था जो मामलों के इस समूह में हमारे विचार के लिए उत्पन्न होते हैं। क्या सी. जे. एम. 2002 के अधिनियम की धारा 14 के तहत सुरक्षित लेनदार द्वारा किए गए अनुरोध से उसी तरह निपटने में सक्षम है जैसे महानगर क्षेत्रों में सी. एम. एम. और गैर-शहरी क्षेत्रों में डी. एम. द्वारा किया जा सकता है।

महानगरीय क्षेत्र। फिर भी, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह निर्णय 2002 के अधिनियम की धारा 14 में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली जांच की प्रकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अपनी प्रकृति से जांच, एक प्रशासनिक या कार्यकारी उपाय है और उक्त निर्णय में उपयोग किए गए वाक्यांश, "राज्य की बलपूर्वक शक्ति"-को सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा प्राप्त करने के लिए उधार लेना है। यह सुझाव देना संभव है कि चूंकि प्राधिकरण को जांच करने और आदेश पारित करने की आवश्यकता है, इसलिए यह एक अर्ध-न्यायिक जांच होने का रंग ले लेगा। किसी भी मामले में, कथित प्राधिकारी को संबंधित पक्षों के अधिकारों के संबंध में उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दे (मुद्दों) पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।

38. रिलायंस को हर्षद गोवर्धन सोंडागर (ऊपर) में भी प्रदर्शनी में रखा गया था, जिसमें अपीलकर्ताओं ने एक बंधक परिसर (सुरक्षित संपत्ति) के किरायेदार होने का दावा किया था; और क्योंकि उधारकर्ताओं (मकान मालिक/उसके मालिक) ने चूक की थी, इसलिए सुरक्षित लेनदार ने सुरक्षित संपत्ति को लागू करने के लिए 2002 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया था। उस पृष्ठभूमि में, प्राधिकरण अधिकारी, भारतीय बैंक बनाम के तहत सीएमएम, मुंबई के समक्ष आवेदन दायर किया गया था।

डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

2002 अधिनियम की धारा 14 परिसर का कब्जा लेने और उसका कब्जा सुरक्षित लेनदार को सौंपने के लिए है। सौदा करते समय

सुरक्षित लेनदार की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए, 2002 के अधिनियम की धारा 14 को ध्यान में रखते हुए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि सुरक्षित संपत्ति को हस्तांतरित करने और सुरक्षित संपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से, सुरक्षित लेनदार को पट्टेदार से सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने के लिए सीएमएम या डीएम की सहायता की आवश्यकता होगी, जहां पट्टा संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 111 में उल्लिखित किसी भी तरीके से निर्धारित किया जाता है। इसके बाद अदालत ने पट्टेदार के लिए उपलब्ध उपायों के बारे में सवाल की जांच की, जहां उसे 2002 के अधिनियम की धारा 13 के तहत सुरक्षित लेनदार द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई से बेदखल होने की धमकी दी गई है। उस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि 2002 के अधिनियम की धारा 34 यह स्पष्ट करती है कि किसी भी न्यायालय या अन्य द्वारा कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। 2002 अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में प्राधिकरण। यहां तक कि यह निर्णय, यदि हम ऐसा कह सकते हैं, तो वर्तमान मामलों में विचाराधीन प्रश्न पूरी तरह से अलग मुद्दे से संबंधित है।

39. यह अब पूर्णांक नहीं है कि सी. जे. एम. को Cr.P.C में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए सी. एम. एम. के बराबर माना जाता है। ; और उन अभिव्यक्तियों का उपयोग एक दूसरे के पर्याय के रूप में किया जाता है। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (ऊपर) में इस न्यायालय ने पैराग्राफ 31 में निम्नलिखित राय दी:

" 31. जैसा कि हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, शेट्टी आयोग ने सिफारिश की थी कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जिला न्यायाधीशों के कैडर में होने चाहिए। हमारी राय में, यह न तो उचित है और न ही व्यावहारिक। प्रमुख द्वारा पारित आदेशों की अपीलें

संहिता के प्रावधानों के तहत महानगर मजिस्ट्रेट

आपराधिक प्रक्रिया की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। यदि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट दोनों के अंतर्गत आते हैं -

उसी संवर्ग में, यह विरोधाभासी होगा कि संवर्ग के एक अधिकारी की कोई भी अपील उसी संवर्ग के दूसरे अधिकारी के पास जानी चाहिए। यदि वे उसी संवर्ग के हैं, जैसा कि शेट्टी आयोग द्वारा अनुशंसित है, तो यह संभव होगा कि कनिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा जबकि एक वरिष्ठ मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का पद धारण कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई कनिष्ठ अधिकारी ही करे। कोई कारण नहीं दिया गया है

शेट्टी आयोग ने मुख्य महानगर [2019] 13 एस. सी. आर. का पद क्यों दिया।

मजिस्ट्रेट का संचालन जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पदों का संबंध है, जिनके कर्तव्य मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के समान हैं, शेट्टी आयोग ने सिफारिश की है, और हमारी राय में सही है कि उन्हें सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) में से भरा जाना चाहिए। प्रमुख की प्रकृति और कर्तव्यों पर विचार करना

प्रभाग)। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं। 40. यह ध्यान दिया जाए कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 एक प्रावधान नहीं है

सबसे अच्छा, अधिकृत अधिकारी द्वारा शक्ति का प्रयोग अर्ध-न्यायिक कार्य का रंग ले सकता है, जिसका निर्वहन कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा भी किया जा सकता है। अधिकृत अधिकारी से संबंधित पक्षों द्वारा उठाए गए विवादास्पद मुद्दों पर निर्णय लेने की अपेक्षा नहीं की जाती है, बल्कि केवल सत्यापित करने की अपेक्षा की जाती है धारा 14 के पहले परंतुक में निर्दिष्ट अनुपालन; और उस ओर से संतुष्ट होने पर, सुरक्षित परिसंपत्तियों के कब्जे को सुविधाजनक बनाने के लिए एक आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ें।

41. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कोई भी दीवानी न्यायालय किसी भी मामले के संबंध में शुरू की गई कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जिसे ऋण वसूली न्यायाधिकरण या

या बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत। यह 2002 के अधिनियम की धारा 34 द्वारा निर्धारित किया गया है। 42. उधारकर्ताओं या उधारकर्ताओं के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों ने 2002 के अधिनियम की धारा 35 पर जोर दिया था। वही पढ़ता है

इस प्रकार:

द ऑथराइज्ड ऑफ़िसर, इंडियन बैंक v. डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

35. इस अधिनियम के प्रावधान अन्य कानूनों को ओवरराइड करते हैं। - इस अधिनियम के प्रावधान कुछ भी होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

उस समय के लिए किसी अन्य कानून में निहित इसके साथ असंगत

बल में होना या किसी के आधार पर प्रभाव रखने वाला कोई उपकरण

ऐसा कानून "।

43. इस प्रावधान का निर्माण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी भी अन्य कानून पर हावी होंगे। सवाल यह है: क्या 2002 अधिनियम के प्रावधान ओवरराइड करते हैं सी. आर. के प्रावधान। पी. सी., जिसके तहत कार्य किए जाने हैं

सी. एम. एम. सी. जे. एम. के समान है। इसके अलावा, "सीएमएम और सीजेएम" अभिव्यक्तियों का उपयोग Cr.P.C में एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है।

एक-दूसरे के पर्यायवाची। धारा 14, भले ही शाब्दिक रूप से पढ़ा जाए, किसी भी तरह से नहीं सी. एम. एम. और सी. जे. एम. को अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के आवंटन को दर्शाता है।

दंड प्रक्रिया संहिता के तहत 2002 के अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है। इस प्रकार समझा जाए तो 2002 के अधिनियम की धारा 14 को दंड संहिता के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं माना जा सकता है।

उस संबंध में प्रक्रिया या इसके विपरीत। यदि ऐसा है, तो अनुभाग में शर्त

35 2002 के अधिनियम का व्यापक निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

2002 के अधिनियम की धारा 14। जबकि, सुरक्षित लेनदारों (बैंकों) द्वारा प्रस्तुत करने में बल है कि 2002 अधिनियम की धारा 37 विचाराधीन मुद्दे का जवाब देती है। वही इस प्रकार पढ़ता है:

" 37 - अन्य कानूनों का प्रयोग वर्जित नहीं है। - के प्रावधान

यह अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अतिरिक्त होंगे, न कि इसके अवमूल्यन में -

प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15), बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली

अधिनियम, 1993 (1993 का 51) या कुछ समय के लिए कोई अन्य कानून

बल "।

इस प्रावधान के खाली पाठ में भविष्यवाणी की गई है कि 2002 के अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान इसके अतिरिक्त होंगे - उल्लिखित अधिनियम या "उस समय लागू कोई अन्य कानून"। होने के नाते

उन्होंने कहा कि 2002 के अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान किसी भी तरह से दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं।

फिर इस बात का पालन करें कि 2002 के अधिनियम के प्रावधान संहिता के अतिरिक्त हैं, न कि अपमान में।

9] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

44. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि 2002 के अधिनियम के विषय और उद्देश्य और 2002 के अधिनियम की धारा 14 में अंतर्निहित विधायी इरादे और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रावधान का प्रासंगिक और उद्देश्यपूर्ण निर्माण विधायी इरादे को आगे बढ़ाएगा। इसमें, 2002 के अधिनियम की धारा 14 में अधिकृत अधिकारी को प्रदत्त शक्ति सीमित है और यह केवल सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने की सुविधा के लिए राज्य की बलपूर्वक शक्ति के प्रयोग की प्रकृति में है।

45. अब सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 17 का विज्ञापन करना उचित होगा। वही इस प्रकार पढ़ता है:

" 17 - कार्यकर्त्ताओं का प्रतिस्थापन। - (1) किसी [केंद्रीय अधिनियम] में या

इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया विनियमन, किसी कार्यालय के कार्यों को निष्पादित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों की संख्या के लिए एक कानून के अनुप्रयोग को इंगित करने के उद्देश्य से, वर्तमान में कार्यों को निष्पादित करने वाले अधिकारी या उस अधिकारी के आधिकारिक शीर्षक का उल्लेख करने के लिए पर्याप्त होगा, जिसके द्वारा कार्य आमतौर पर निष्पादित किए जाते हैं।

(2) यह धारा जनवरी, 1868 के तीसरे दिन के बाद बनाए गए सभी [केंद्रीय अधिनियमों] और उस दिन या उसके बाद बनाए गए सभी विनियमों पर भी लागू होती है।

जनवरी, 1887 का चौदहवाँ दिन।

इस न्यायालय को जनार्दन बनाम महाराष्ट्र राज्य 62 में कुछ इसी तरह की चुनौती की जांच करने के लिए बुलाया गया था। उस मामले में, चुनौती सहायक आयुक्त द्वारा जारी तलाशी वारंट के लिए थी

बॉम्बे जुआ निवारण अधिनियम, 1887 की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में पुलिस। न्यायालय ने बॉम्बे सामान्य खंड अधिनियम, 1886 की धारा 17 पर भरोसा करके उस चुनौती को खारिज कर दिया, जो सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 17 के समान है। अदालत ने राय दी कि हालांकि जुआ अधिनियम की धारा 6 ने पुलिस आयुक्त के कार्यालय को अधिकृत अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया है,

बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 2 (6) के विस्तार पर विचार करते हुए, जिसमें उल्लेख किया गया है कि "पुलिस आयुक्त" शब्द में एक सहायक आयुक्त शामिल होगा, यह माना गया कि तलाशी वारंट सहायक आयुक्त द्वारा जारी किया गया आदेश वैध था। न्यायालय ने उक्त चुनौती पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 8. इस परिभाषा का विश्लेषण करने पर यह प्रतीत होता है कि किसी भी अधिनियम में उल्लिखित अधिकारी का कोई भी आधिकारिक शीर्षक

62 (1978) 2 एस. सी. सी. 465 द अथॉरिटी ऑफ़िसर, भारतीय बैंक बनाम। डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सामान्य खंड अधिनियम कानून की कल्पना द्वारा सामान्य खंड अधिनियम के बाद पारित किसी भी अधिनियम में संदर्भित ऐसे किसी भी आधिकारिक शीर्षक को शामिल करने के लिए माना जाएगा।

9. इसके अलावा, न केवल आधिकारिक शीर्षक बल्कि उक्त अधिकारी द्वारा निष्पादित कार्यों को भी बाद के अधिनियम में नामित अधिकारी द्वारा प्रयोग किया गया माना जाएगा। अतः जुआ अधिनियम की धारा 6 और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 17 (1) का संयुक्त प्रभाव यह होगा कि "पुलिस आयुक्त" शब्द में वे सभी अधिकारी शामिल होंगे जो पुलिस आयुक्त के कार्यों को निष्पादित या निष्पादित कर रहे हैं जैसा कि बाद के अधिनियम के तहत परिभाषित या अधिकृत किया गया है, अर्थात् पुलिस अधिनियम। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि पुलिस अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (6) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "पुलिस आयुक्त" शब्द में एक सहायक आयुक्त शामिल होगा। इस प्रकार उप-धारा (6) इस प्रकार है:

" 2. इस अधिनियम में, जब तक कि विषय में कुछ भी अप्रिय न हो या

संदर्भ: (6) ..... एक अतिरिक्त सहित पुलिस आयुक्त

पुलिस आयुक्त, एक पुलिस उप महानिरीक्षक (पुलिस वायरलेस के निदेशक और धारा 8-ए के तहत नियुक्त पुलिस उप महानिरीक्षक सहित), एक पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त।

पुलिस अधिनियम की धारा 11 इस प्रकार है:

11. (1) राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र के लिए नियुक्ति कर सकती है जिसके लिए धारा 7 के तहत एक पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है।

सहायक पुलिस आयुक्तों की इतनी संख्या जितनी वह समीचीन समझे।

(2) उप-धारा (1) के तहत नियुक्त सहायक आयुक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों और कार्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत या राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के तहत आयुक्त द्वारा उसे सौंपे गए हैं।

पुलिस अधिनियम की धारा 11 के अवलोकन से यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि उप-धारा के तहत एक सहायक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है

(1) अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत ऐसे कर्तव्यों और कार्यों का पालन करना है, जिसमें निस्संदेह जुआ अधिनियम शामिल है जो उस समय लागू कानून था जब पुलिस अधिनियम पारित किया गया था। इसके अलावा सहायक आयुक्त उन कार्यों को भी कर सकता है जो उसे राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के तहत आयुक्त द्वारा सौंपे जा सकते हैं। सरकार द्वारा आयुक्त को शक्तियाँ सौंपने का प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 10 (2) में निहित है जो इस प्रकार है:

" 10. (2) ऐसा प्रत्येक उपायुक्त, आयुक्त के आदेशों के तहत, इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत आयुक्त की किसी भी शक्ति, कार्य और कर्तव्यों का प्रयोग करेगा और उनका पालन करेगा, जो इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अनुसार लागू हैं।

10. उच्च न्यायालय ने एक तथ्य के रूप में पाया है कि राज्य सरकार द्वारा 10 मार्च, 1967 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके द्वारा नागपुर सहित सभी सहायक पुलिस आयुक्तों को पुलिस आयुक्त की शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए थे। इस प्रकार, उस समय के मामले में जब अपराध किया गया था, दो चीजें हुई थीं: (1) कि नागपुर में जहाँ अपराध हुआ था वहाँ एक पुलिस आयुक्त था, और (2) कि पुलिस आयुक्त को सरकारी अधिसूचना द्वारा सहायक आयुक्त को अपने कार्य, शक्तियाँ और कर्तव्य सौंपने की शक्ति प्रदान की गई थी। इनमें

इसलिए परिस्थितियों में हमें कोई कठिनाई नहीं मिलती है।

प्रत्यर्थी के इस तर्क को स्वीकार करते हुए कि सामान्य खंड अधिनियम और पुलिस अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के संयुक्त अध्ययन के संबंध में

" पुलिस आयुक्त "की धारा 6 में उपस्थित

जुआ अधिनियम में एक सहायक भी शामिल होगा।

आयुक्त जिन्हें कानूनी और वैध रूप से सौंपा गया था

पुलिस आयुक्त की शक्तियाँ, कार्य और कर्तव्य

पुलिस अधिनियम की धारा 10 (2) के तहत राज्य सरकार द्वारा। चूंकि सामान्य खंड अधिनियम एक कानून था जिसे पारित किया गया था जुआ अधिनियम के लागू होने से पहले, सामान्य प्राधिकरण अधिकारी, भारतीय बैंक की धारा 17 v.

डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

खंड अधिनियम को दायरे की व्याख्या करने में सहायता के लिए बुलाया जा सकता है और धारा 6 में प्रयुक्त "पुलिस आयुक्त" शब्द की सीमा

जुआ अधिनियम।

11. हालाँकि, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि

सरकार द्वारा कार्यों को सौंपने की शक्ति पुलिस आयुक्त या सहायक आयुक्त कर सकते हैं

केवल पुलिस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में प्रयोग किया जाए

और उससे आगे भी नहीं। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हो पा रहा हूं।

विवाद जो पूरी तरह से घोषित उद्देश्य की अनदेखी करता है सामान्य खंड अधिनियम की धारा 17 जिसे पारित किया गया है

ऐसी विसंगतियों को दूर करें और इसका अर्थ लगाना संभव नहीं है पुलिस अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से अलग-थलग करके

सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधान जो निस्संदेह लागू होते हैं

वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए। इनके लिए

कारण, इसलिए, द्वारा सामने रखा गया दूसरा विवाद अपीलार्थी भी विफल हो जाता है।

(जोर दिया गया)

इसके अतिरिक्त, सहमति देने वाले निर्णय में न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 19. यह विचार के लिए बना हुआ है कि सहायक

पुलिस आयुक्त को कार्यों को निष्पादित करने वाला कहा जा सकता है।

बॉम्बे पुलिस की धारा 11 (2) से संबंध बनाया जा सकता है। अधिनियम, 1951, जो निम्नलिखित प्रावधान करता है:

" 11. (2) उप-धारा के तहत नियुक्त सहायक आयुक्त (1) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और

जिन कार्यों का प्रयोग या निष्पादन प्रावधानों के तहत किया जा सकता है इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का या

उन्हें सामान्य के अधीन आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाता है या

राज्य सरकार के विशेष आदेश "।

पुलिस न केवल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करती है और ऐसे कर्तव्यों का पालन करती है और कार्य जो वह कर सकता था, संदर्भ में, के तहत व्यायाम या प्रदर्शन

समय पर लागू होने के साथ-साथ सौंपे गए कर्तव्यों और कार्यों को भी उसे पुलिस आयुक्त द्वारा सामान्य या विशेष [2019] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य सरकार के आदेश। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में राज्य सरकार के 10 मार्च, 1967 के आदेश ए. पी. ओ.-3463-सी. 2896-(III)-(ई)-V पर ध्यान दिया है, जिसमें सभी पुलिस आयुक्तों को सहायक आयुक्तों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है।

उनके अधीन कार्य करने वाली पुलिस की कोई भी शक्ति, कर्तव्य और कार्य न केवल बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत, बल्कि उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत भी। इस तरह के आदेश के अस्तित्व को वास्तव में हमारे सामने चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए सहायक पुलिस आयुक्त वह पदाधिकारी था जो बॉम्बे सामान्य खंड अधिनियम की धारा 17 के आधार पर वर्तमान मामले में जारी किए गए विशेष वारंट की तरह विशेष वारंट जारी करने के मामले में अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत पुलिस आयुक्त के कार्यों का निर्वहन कर सकता था। यह भी विवादित नहीं है कि पुलिस आयुक्त ने 19 सितंबर, 1967 को आदेश 2036 जारी किया, जिसमें उनके अधीन काम करने वाले सभी सहायक पुलिस आयुक्तों को उनके अधीन काम करने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी को अधिनियम की धारा 6 के तहत तलाशी वारंट जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। जैसा कि दिखाया गया है, यह कानूनी रूप से अनुमत था, और यह तर्क देना व्यर्थ है कि उच्च

न्यायालय ने इसके विपरीत अपीलार्थी के तर्क को अस्वीकार करने में गलती की,

46. इस निर्णय के अंतर्निहित सिद्धांत को लागू करते हुए, इसे इस बात का पालन करना चाहिए कि अधिकारियों का प्रतिस्थापन (सीजेएम के रूप में सीएमएम) प्रशासनिक है।

और कार्यपालिका या तो यह कहना कि उनके द्वारा Cr.P.C के प्रावधानों के आलोक में निर्वहन किए गए गैर-न्यायिक कार्य धारा के साथ असंगत नहीं होंगे। 14 2002 के अधिनियम का; नहीं, यह इसकी व्याख्या के मामले में एक अनुमेय दृष्टिकोण होगा और विधायी इरादे को आगे बढ़ाएगा

47. यह कहने के बाद, हमें कानूनों की व्याख्या के मामले में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के संबंध में सेवा में लगाए गए अन्य निर्णयों पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। 48. संक्षेप में, हमारा मानना है कि सीजेएम धारा 14 के तहत सुरक्षित लेनदार द्वारा दायर आवेदन से निपटने के लिए समान रूप से सक्षम है।

2002 का अधिनियम। तदनुसार, हम केरल, कर्नाटक, इलाहाबाद और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखते हैं और अनुमोदन करते हैं और बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास के उच्च न्यायालयों के निर्णयों को उलट देते हैं।

डी. विशालाक्षी और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इस संबंध में मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। नतीजतन, सुरक्षित लेनदारों (बैंकों) द्वारा सेवा में लगाए गए संभावित अधिमूल्यांकन के तर्क पर विस्तार करना अनावश्यक है।

49. विदा लेते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 2019 के एसएलपी (सी) No.7121 से उत्पन्न सिविल अपील एक लंबित अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ निर्देशित है। इसलिए, इस अपील का निपटारा कानून के अनुसार उपलब्ध होने पर किसी भी अन्य मुद्दे (मुद्दों) पर उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है। यह कानून के अनुसार तय किया जाना चाहिए।

50. इन सभी अपीलों का उपरोक्त शर्तों में पक्षकारों को ऐसे अन्य उपायों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता के साथ निपटारा किया जाता है जो अन्य मुद्दों, यदि कोई हों, के संबंध में कानून में अनुमत हो सकते हैं। उसी पर कानून के अनुसार, उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। संबंधित अपीलों में लंबित आवेदनों का भी उपरोक्त में निपटारा किया जाता है।

शर्तें।

अंकित ज्ञान

अपील

ों का निपटारा किया गया।